छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 09, शक सम्वत् 1945)

[अंक 17]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024

(माघ-फाल्गुन 9, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला जांजगीर चांपा में हैंडपंप का खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 1673) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक कितने ग्रामों में हैंडपंप खनन किया गया है? वर्तमान में कितने प्रारंभ एवं कितने अप्रारंभ हैं? विकासखंडवार ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त अवधि में कितने ग्रामों से हैंडपंप खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है? कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक 408 ग्रामों में नलकूप (हैण्डपंप) का खनन किया गया है। खनित नलकूपों में से 501 नलकूपों पर स्थापित समस्त हैण्डपंप चालू (प्रारंभ), बंद (अप्रारंभ) निरंक तथा 158 नलकूपों पर स्थापित समस्त पावर पंप चालू (प्रारंभ), बंद (अप्रारंभ) निरंक है। विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट †[1]प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उक्त अवधि में 76 ग्रामों में हैण्डपंप खराब होने की 94 शिकायत प्राप्त हुई है। सभी 94 शिकायतों का निराकरण किया गया है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है। महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा, सक्ती के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक कितने ग्रामों में हैण्डपंप खनन किया गया है। वर्तमान में कितने प्रारंभ एवं कितने अप्रारंभ हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें।

[1] †परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण साव :- माननीय सदस्य के प्रश्न की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी है और इस अवधि में माननीय अध्यक्ष महोदय, 408 गांवों में 501 नलकूपों पर हैण्डपंप स्थापित हुआ है, जो चालू हालत में हैं। 158 नलकूप स्थापित कर पावर पंप भी चालू कर दिया गया है और उक्त अवधि में 76 ग्रामों में हैण्डपंप खराब होने की जो 94 शिकायत प्राप्त हुई है, उसका भी निराकरण किया गया है। इस बात को सरकार ने गंभीरता से लिया है कि गर्मी के दिन आने वाले हैं और हैण्डपंप खराब होने का सिलसिला लगातार चलता है और इसलिए सरकार ने उसकी तैयारियां द्रुत गति से की है। हमने हैण्डपंप टेक्नीशियन की भर्ती की है। हमने सामग्री क्रय कर ली है ताकि समय पर हैण्डपंप जो खराब हों, उसका सुधार हो सके ताकि लोगों को पेयजल की समस्या न हो। जल जीवन मिशन का काम अलग से चल ही रहा है फिर भी जहां आवश्यकता पड़ती है, हैण्डपंप की खुदाई भी कर रहे हैं।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इसमें वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक बोर का जो खनन हुआ है, वह लगभग 700 है, जिसमें 659 सफल है और 41 असफल है। इसमें जो हमारे जांजगीर जिला और सक्ती में 6 विधान सभा है और 3 सालों में मात्र 700 हैण्डपंपों का खनन हुआ है और अगर बूथ के हिसाब से हम लोग जाते हैं तो लगभग वहां 1500 बूथ हैं और लगातार जो जानकारी दी है, जिसमें 501 हैण्डपंप जो लगा है, जिसमें टोटल के टोटल सही स्थिति में है। खराब की स्थिति है, वह जीरो बताया गया है। पावर पंप 158 लगा हुआ है और उसमें 158 के 158 को सही बताया गया है। खराब की स्थिति नहीं बताई गई है। ठीक है 76 हैण्ड पंप जो खराब बताया गया है, उसको भी सही कर लिया गया है, करके जानकारी बतायी गयी है। 94 शिकायत आयी है और 94 शिकायतों का निराकरण भी हो गया है। माननीय उप मंख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो सक्षम व्यक्ति है, जिसके पास लेंटर का घर है, पानी की सुविधा है, उन्होंने तो बोर खनन कर लिया है, कुएं की व्यवस्था है, लेकिन वह गरीब जो 500 मीटर दूर जाकर घर में सुबह सूत-उठकर, जब उसका हैण्डपंप खराब होता है तो उसको 500 मीटर और अधिक दूसरे में जाना पड़ता है और घंटों इंतजार करना पड़ता है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं जैसे 108, 112 जो टोल फ्री नंबर है, वैसी एक सरल टोल फ्री नंबर गरीब जनता को देना चाहिए, जो उसे कॉल करे और 24 घंटे के भीतर में उसका निराकरण भी होना चाहिए। हमको कलेक्टर को फोन करना पड़ता है। एस.डी.एम. को फोन करना पड़ता है। सी.ई.ओ. को फोन करना पड़ता है। पी.एच.ई. विभाग में फोन करना पड़ता है। उसके बाद ही 4 दिन, 5 दिन बाद हैण्डपंप सुधार किया जाता है तो मैं आपसे सरल टोल फ्री नंबर की मांग करता हूं ताकि हर बूथ पर वह चस्पा भी होना चाहिए और हैण्डपंप या पावर पंप जो खराब होता है तो 24 घंटे के भीतर उसका निराकरण भी होना चाहिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में कुल 1347 हैंडपम्प स्थापित हैं, जिनमें सिंगल फेस पावर पम्प वाले 138,

नलजल योजना के 27 और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 91 सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं । पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, लोगों को पेयजल की किसी तरह की समस्या न हो और जहां तक टोल फ्री नम्बर की बात है, हमारे विभाग में शिकायत निवारण की पुख्ता व्यवस्था है । विभाग ने टोल फ्री नम्बर 18002330008 शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध है । इसमें शिकायत करने पर त्वरित निराकरण की व्यवस्था है और जो 94 शिकायतें आई हैं उनकी शिकायतकर्ता सहित नाम की सूची हमारे पास है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया ।

<u>जिला बस्तर में विभाग के अधीन लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (*क्र. 2557) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नावधि तक राजस्व विभाग के अधीन नामांकन, सीमांकन, भू-बंटवारा एवं नवीनीकरण से संबंधित कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुये तथा इनमें से कितनों का निराकरण हुआ है? कृपया वर्षवार बतावें ? **(ख)** क्या इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु अथवा समय-सीमा में निराकरण करने, विभाग कोई कार्यक्रम चला रही है अथवा कार्ययोजना प्रस्तावित है? तो कृपया स्पष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) जिला बस्तर में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में राजस्व विभाग के अधीन नामांकन, सीमांकन, भू-बंटवारा एवं नवीनीकरण से संबंधित जानकारी वर्षवार निम्नानुसार हैः-

क्रं.	वर्ष	नामांतरण		सीमांकन		भू-बंटवारा		नवीनीकरण	
		दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत
1	2021-22	4902	4902	1425	1385	481	481	48	41
2	2022-23	6598	6573	888	888	365	365	84	64
3	2023-24	1522	1169	442	168	135	78	28	24

(ख) जी हां, सभी प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जानकारी चाही थी । जानकारी तो आई है लेकिन आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन प्रकरणों के निराकरण की क्या समय सीमा तय की गई थी ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि लंबित प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा क्या है ? भू-राजस्व संहिता में एक लोक गारंटी सेवा अधिनियम बनाया गया है जिसमें समय सीमा तय की गई है कि जो अविवादित प्रकरण है जिनमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है उनके निपटारे का समय 03 माह है, विवादित प्रकरणों में 06 माह का समय है । समय सीमा के अंदर प्रकरण का निपटारा करना होता है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नामान्तरण के 25 प्रकरण 2022-23 का और 2023-24 का 378 प्रकरण लंबित है । इसी प्रकार सीमांकन में 2021-22 का 40 और 2023-24 का 274 । भू-बंटवारा के 57 प्रकरण लंबित हैं । इसी प्रकार नवीनीकरण के लिए 2021-22 में 07 और 2022-23 में 20, 2023-24 में 04, मैं जानना चाहूंगा ये प्रकरण 2 साल, 3 साल से अधिक हो गए, क्यों लंबित हैं ।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, नामांतरण, बटांकन, सीमांकन एक सतत प्रक्रिया है । आवेदन आता रहता है और उसका निराकरण होता रहता है । ये क्रमिक प्रक्रिया है । कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जो 03 माह या, विवादित प्रकरण 06 से अधिक से बाहर हो । सभी का निराकरण समय सीमा में होता है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- मंत्री जी, आप 03 महीने और 06 महीने की बात कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि 2021-22 में सीमांकन के 40 प्रकरण लंबित हैं । 2021-22 में नवीनीकरण के 07 प्रकरण इसी प्रकार 2022-23 में 25 और 20 प्रकरण लंबित हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि कोई प्रकरण लंबित नहीं है ।

श्री टंक राम वर्मा :- इसके लंबित रहने के अन्य कारण भी रहते हैं । कभी कभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते, कभी गवाह उपस्थित नहीं होते, कभी गवाह को सूचना समय पर तामील नहीं हो पाती, कभी पीठासीन अधिकारी प्रोटोकॉल के तहत अन्य शासकीय कार्य में रहते हैं । ऐसे कुछ कारण हैं जिनके चलते प्रकरण लंबित रह जाते हैं, इसमें पीठासीन अधिकारी या तहसील कार्यालय को दोषी नहीं मान सकते, इसमें पक्षकार का समय पर उपस्थित न होना भी एक कारण रहता है । इस कारण प्रकरण लंबित रहते हैं ।

श्री बघेल लखेश्वर :- मंत्री जी तीन-तीन सालों से प्रकरण लंबित हैं । उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि अन्य कारणों से भी लंबित रहते हैं । तीन-तीन सालों से प्रकरण लंबित रहना चिंताजनक है । आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नामांकन, बटवारा, सीमांकन के लिए कोई सेवा शुल्क लगता है क्या ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों और भूमि स्वामियों की जो तकलीफें हैं, इनकी चिंता करते हुए प्रदेश में एक बार नया प्रयोग किये हैं। किसानों को भटकना मत पड़े, उनकी समस्याओं का समय पर निराकरण हो, इसके लिए पहली बार राजस्व मंडल स्तर पर एक शिविर का आयोजन किया गया, उसके बाद तहसील स्तर पर आयोजन किया गया, फिर जिला स्तर पर आयोजन किये हैं। जितने भी प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का निपटारा शिविर में हो जाए और तीनों स्तर की शिविर का आयोजन सप्ताह भर पहले संपन्न हुआ है। सचिव को निर्देश दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- क्या कोई सेवा शुल्क लगता है ?

श्री टंकराम वर्मा :- आवेदन में सेवा शुल्क नहीं लगता।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें सेवा शुल्क नहीं लगता है, आपके अधिकारियों द्वारा कई जगहों में नामांकन बंटवारा के लिए 5 हजार फिक्स है। अगर 5 हजार नहीं दोगे तो आपका निराकरण नहीं होगा। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, शासन का ऐसा कोई नियम प्रावधान नहीं है कि इनके लिए इतना शुल्क लगेगा। यदि ऐसा शुल्क लेते हैं, कहीं पर इनकी शिकायत मिलती है, प्रमाणित होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, इसी में पूछ लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, पेपर में दो दिन से लगातार सेवा शुल्क के बारे में आ रहा है। बिलासपुर में डायवर्सन के मामले में कलेक्टर को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया और जिस दिन शपथ पत्र जारी किया गया, जिस दिन सुनवाई हुई, हाईकोर्ट जाने के बाद उस तीन दिन में हजार से उपर केस निपट गये। क्या ऐसी घटना बिलासपुर में घटी है कि डायवर्सन के मामले में शासन के उपर आरोप लगाकर हाईकोर्ट में कोई आदमी गया है ? क्योंकि डायवर्सन, नामांतरण भूमि विवाद से ही संबंधित है। इसकी जानकारी शासन को है।

श्री टंकराम वर्मा :- यदि पीड़ित पक्षकार इस प्रकार का कदम उठायेंगे तो उसमें जांच करायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं यह पूछ रहा हूं, हाईकोर्ट गये हैं, क्या इसकी जानकारी शासन को है ? शासन के खिलाफ कलेक्टर को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया। सेवा शुल्क लिया जाता है, इस आरोप के साथ कोई आदमी हाईकोर्ट गया है, इसकी जानकारी शासन के संज्ञान में है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- जानकारी है या नहीं। हां या नहीं में बता दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है।

श्री अजय चंद्राकर :- विभाग के लोग बैठे हैं, विभाग के हिसाब से ही बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर से तो मुझे भी जानकारी मिली है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह उतना ही बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, एक विवादित प्रकरण और अविवादित प्रकरण है, चाहे वह नामांतरण या बंटवारा का हो। इसमें जो समय की अवधि है, विवादित प्रकरण में ऐसा है कि उसकी पूरी प्रक्रिया करते-करते समय निकल जाता है, अविवादित प्रकरण में पक्षकार आकर खड़े हो गये, बातचीत हो गयी, उसके बाद केवल उसका निराकरण करना है, उसमें भी साल, डेढ़ साल, दो साल तक घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों इंतजार करते रहते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या अविवादित प्रकरण में 3 महीना, 6 महीना समय सीमा निर्धारित करेंगे ? ताकि उसके अंतर्गत उसका निराकरण हो जाए।

अध्यक्ष महोदय :- अविवादित बहुत सरल प्रश्न है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अविवादित प्रकरण को 3 महीने के अंदर पूरा करना है, उसकी समय सीमा निर्धारित है। यदि तीन महीने के अंदर निराकरण नहीं होता है तो पीड़ित पक्षकार को अधिकार है कि वह उनके खिलाफ आवेदन कर सकता है, अधिकारियों के उपर पेनाल्टी लग सकती है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमांकन और डायवर्सन में जो बाद में आवेदन करते हैं, उनका पहले कर दिया जाता है और जो पहले से आवेदन लंबित है, उसको नहीं किया जाता है। क्या आप ऐसे आवेदन का पूरे प्रदेश में जांच करके कार्रवाई करेंगे ? ऐसी क्या वजह रही कि एक डायवर्सन के आवेदक को 3 महीने, 15 दिन, 20 महीने में मिल जा रहा है। एक नामांतरण के लिए लगा है, वह तीन साल से घूम रहा है। अविवादित प्रकरण में भी वही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए भाई। भाषण मत दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेरा प्रश्न यही है कि डायवर्सन का आवेदक जिसकी औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है, बाद वाले आवेदन का पहले हो गया और जो पहले आवदेन लगाये हैं उनका नहीं हुआ है, औपचारिकता पूर्ण है। क्या आप ऐसे अधिकारियों के उपर जांच करा के कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप भी पूछ लीजिए। एक साथ जवाब दे देंगे। मोहले जी पूछ लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, एक साथ जवाब देंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अविवादित प्रकरण में 3 महीने की समय-सीमा है। पहला, यदि वह अविवादित प्रकरण है तो उसकी समय-सीमा निर्धारित करने का क्या औचित्य है? दूसरा, क्या आप उसकी समय-सीमा को कम करेंगे? उसका निराकरण एक महीने में क्यों नहीं होता है?

पटवारी स्वयं वहां पर रहता है उसको तो दस्तखत करना है। क्या आप मुझे यह बताएंगे कि यदि 3 महीने में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की जो समस्याएं हैं, भूमि स्वामी की जो समस्याएं हैं और जो लंबित प्रकरण हैं, उनका त्वरित गति से निपटारा करने के विषय में भी हम विचार कर रहे हैं। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने पूछा कि अविवादित प्रकरणों में 3 महीने की समय-सीमा क्यों है? हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हम उसकी समय-सीमा को घटा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, भविष्य में एक-एक विधान सभा में 3-3, 4-4, 5-5 जगहों में शिविर लगाकर ऐसे मामलों के निराकरण के लिए कोई कार्य योजना बनाकर काम करेंगे तो छः महीने या साल भर में समयबद्ध होगा। पूरा रजिस्ट्रेशन होगा तो सबका क्लियर हो जाएगा। क्या आप ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी शुरूआत की है। हम इसको कितना अच्छा कर सकते हैं और इसमें कितनी पारदर्शिता आ सकती है, जिससे किसानों को चक्कर न मारनी पड़े। हम इसके विषय में विचार कर रहे हैं। हम भूमि स्वामी और किसानों के लिए एक अच्छी से अच्छी योजना बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, प्रश्नकर्ता का मूल प्रश्न यही है कि सेवा शुल्क न लगे।

श्री टंकराम वर्मा :- जी, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरा भी प्रश्न लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- यशोदा जी, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न पूछेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जितने भी पटवारी और राजस्व निरीक्षक हैं, उन्होंने सेवा शुल्क का नाम बदल शिष्टाचार शुल्क बना लिया है। जब तक आप वहां पर शिष्टाचार का शुल्क अदा नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होता है। सेवा शुल्क तो है ही नहीं, उनको शिष्टाचार शुल्क देना पड़ता है। हमको भी देना पड़ता है और आपको भी देना पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या आप इसको समाप्त करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है तो इसको समाप्त करने वाली बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- शेषराज हरवंश जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरा भी प्रश्न लगा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आएगा तो आपको बताएंगे।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का नंबर बहुत दूर में है और वह नहीं आएगा, इसलिए मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, जिसमें उन्होंने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में दिनांक अप्रैल, 2022 से लंबित प्रकरण के बारे में जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि नामांतरण में 162, सीमांकन में 90, डायवर्सन में 25, बटांकन में 9, फावती में 6, नया पुस्तिका में 105 और खाता बंटवारा में 122 प्रकरण लंबित हैं। कुल 519 प्रकरण लंबित हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उन प्रकरणों के लंबित होने का कारण क्या है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इनको धीरे से बता दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया था कि इनके लंबित होने के 4-5 कारण हैं कि कभी-कभी पक्षकार उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कभी गवाह उपस्थित नहीं पाते हैं, कभी गवाह को तामील नहीं हो पाता है, कभी पीठासीन अधिकारी अन्य कामों में व्यस्त होते हैं या ऐसी कुछ वजह हैं, जिनके कारण समय-सीमा में नहीं हो पाता है।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश जी।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। अगली बार देंगे। शेषराज जी।

रायपुर स्थित जंगल सफारी में वन्यजीवों की बड़ी संख्या में आकस्मिक मृत्यु

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (*क्र. 2535) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या नंदनवन तथा जंगल सफारी, नवा रायपुर अटल नगर में वर्ष 2023 से जनवरी, 2024 तक वन्य जीवों की आकस्मिक मृत्यु की घटना हुई है? यदि हां, तो किस-किस प्रजाति के, कितने-कितने वन्यजीवों की, किन-किन कारणों से मृत्यु हुई और उनकी आयु क्या-क्या थी? **(ख)** वन्यजीवों के अस्वस्थ होने की पहली जानकारी कब और किसको हुई और उसके पश्चात् क्या कार्यवाही की गई? वन्यजीवों को क्यों नहीं बचाया जा सका? उनकी चिकित्सा में किन औषधियों का उपयोग किया गया? प्रथम दृष्टि में कौन-कौन उत्तरदायी हैं? जंगल सफारी में कौन-कौन वन्यजीव तथा रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं? **(ग)** क्या इस

घटना की जांच विशेषज्ञों से कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2023 से जनवरी 2024 के मध्य जंगल सफारी में मृत हुए वन्यप्राणियों की कुल संख्या-74 है। **विस्तृत जानकारी संलग्न[2] "प्रपत्र-अ" में दर्शित है । (ख)** उपरोक्त प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है । (ग)** जी हां। **(घ)** ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु वन्यप्राणियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु फीड सप्लीमेंट, विटामीन सी, मिनरल मिक्चर इत्यादि प्रदाय किया जा रहा है। नियमित अंतराल पर वन्यप्राणियों को कृमि नाशक दवा पान कराया जा रहा है एवं पशुधन विकास विभाग के सहयोग से नंदनवन जू एवं सफारी क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों में टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वन मंत्री जी से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट से संबंधित है। जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी है। जिसका निर्माण अक्टूबर, 2012 को शुरू किया गया था और 1 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या नंदन वन तथा जंगल सफारी में वर्ष 2023 से जनवरी, 2024 तक वन्य जीवों की आकस्मिक मृत्यु की घटना हुई है? यदि हां तो किस प्रजाति के कितने एवं किन कारणों से वन्य जीवों की मृत्यु हुई है? माननीय मंत्री जी का इसमें उत्तर भी आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सर्व सुविधा युक्त व संपन्न जंगली सफारी में मात्र 13 माह की अवधि में 74 वन्य प्राणियों की मृत्यु होना अत्यधिक चिंताजनक है तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बताइये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ध्यानाकर्षण में भी इस विषय को लेकर विस्तार से उत्तर दिया था। हमारे जंगली सफारी या जू में हमारे जितने भी वन्य प्राणी हैं, उनकी मृत्यु के कई कारण हैं। हमने 74 वन्य प्राणियों की मृत्यु होने की जानकारी दी है। किसी की उम्र ज्यादा हो गई थी, किसी की आपसी फाइटिंग के कारण, किसी की वायरल से मृत्यु हुई है। मैं देख रहा था कि पिछले 3-4 वर्षों में इस विषय को लेकर वहां पर लगातार मौतों का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है तो हम इसकी भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं । वहां पर वर्तमान में हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या 34 है, जिसमें विरूद्ध में 53 कर्मचारी कार्यरत् हैं । निचले स्तर पर लगभग 300 श्रमिक हैं, वे भी वहां पर काम कर रहे हैं। वहां पर जो वन्य प्राणी हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके फूड सप्लीमेंट, Chlorination वगैरह और बाकी चीजों के लिए हमारे कर्मचारी काम करते रहते हैं, लेकिन मौतें हुई हैं, उसको मैंने कल भी सदन में कहा । अभी वहां पर चिकित्सक भी पदस्थ हैं, कम्पाउन्डर भी पदस्थ हैं,

---

[2] परिशिष्ट "दो"

उनके माध्यम से वन्य प्राणियों के उपचार की व्यवस्था भी की जाती है । समय-समय पर पशु महाविद्यालय अंजोरा, दुर्ग के माध्यम से हम लोग उनकी सेवाएं लेते रहते हैं ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य प्राणियों की स्वाभाविक रूप से मृत्यु मात्र 16 है, शेष 58 वन्य प्राणियों की मृत्यु ऐसी बीमारियों से हुई है, जिनको समय पर ईलाज करके बचाया जा सकता है जैसे निमोनिया में 8 और संक्रमण में 26 वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई है, परन्तु जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ऐसा नहीं किया जा सका । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या जानवरों की मृत्यु के संबंध में डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई या ईलाज से संबंधित किसी तरह की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उत्तर में ही कहा कि हमने तीन अधिकारियों को शो काज़ नोटिस जारी भी किया और वहां पर हमने उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित भी की । हमने पशु महाविद्यालय अंजोरा, दुर्ग के माध्यम से सेवाएं भी लीं । हमने पूरे मामले को देखा और आपके निर्देश के अनुसार हमने कल भी इस बात को तय किया कि सेन्ट्रल ज़ू अथॉरिटी के माध्यम से हम इसकी जांच भी कराएंगे कि वहां पर वन्य प्राणियों की मौत किन कारणों से हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से कितने प्रशिक्षित अधिकारी हैं तथा कहां-कहां पदस्थ हैं ? ऐसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ अधिकारियों को जंगल सफारी में पदस्थ क्यों नहीं किया गया ? मंत्री जी ने बताया कि एक डॉक्टर और एक कम्पाउन्डर पदस्थ हैं, मैं उस डॉक्टर का नाम भी जानना चाहूंगी और वह डॉक्टर कितने प्रशिक्षित हैं, यह भी जानना चाहूंगी ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो जानकारी चाही है, उसमें एक चिकित्सक डॉ. राजेश पाण्डेय है और एक महिला कम्पाउन्डर भी वहां पर पदस्थ हैं । मैं उसका नाम उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपने पूरी जानकारी दे दी ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है ।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आपका तो प्रश्न कल पूरा हो चुका था ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- वह तो कल का था ।

अध्यक्ष महोदय :- आज नया क्या हो गया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. चरण दास महंत :- नया यह हो गया कि माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर पाण्डेय का नाम बताया है, जबकि पूरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने डॉ. राकेश वर्मा, डॉ. राकेश वर्मा, डॉ. राकेश वर्मा लिखा है और डॉ. सोनम मिश्रा लिखा, जो संविदा में है । तो ये रातों रात डॉ. वर्मा कहीं से आ गए ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. राकेश पाण्डेय नहीं, डॉ. राकेश वर्मा है और डॉ. सोनल मिश्रा हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- वे भूल गए थे । पाण्डेय नहीं, वर्मा ही है । आपका प्रश्न बिल्कुल सही है । मंत्री जी ने अपना जवाब संशोधित कर लिया है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि डॉ. राकेश वर्मा के खिलाफ पूर्व में कभी कोई कार्रवाई हुई है, कोई एफ.आई.आर. हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. राकेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई एफ.आई.आर. हुआ है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. राकेश वर्मा और डॉ. सोनल मिश्रा, जो वहां पर कम्पाउन्डर है, उनको हमने शो काज़ नोटिस दिया है । उनका उत्तर मिलते ही उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है । डॉ. राकेश वर्मा के खिलाफ एफ.आई.आर. हुआ है और उनकी सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया है कि वे 5.12.1999 को शासकीय सेवा में आये । डॉ. राकेश वर्मा को 2.3.2000 को एकीकृत पशुधन विकास परियोजना, बस्तर, जगदलपुर में पदस्थ किया गया, डॉ. वर्मा को 21.10.2004 को प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंतागढ़ बनाया गया । डॉ. वर्मा को 9.11.2005 मूल विभाग में वापस किया गया, वे दिनांक 23.7.2007 तक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कोण्डागांव में पदस्थ रहे। डॉ. वर्मा 11.8.2007 से 3.6.2009 तक निलंबित रहे । मैं उनके निलंबित रहने का कारण जानना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। ऐसे निलंबित लोगों को वहां क्यों भेजते हो ? वह ठीक बोल रही हैं। आप वहां कोई अच्छा, सक्षम और योग्य डाक्टर को भेजिये। जो 3-3 साल निलंबित है, ऐसे किसी डाक्टर को भेजने से इस प्रकार वे वन्य प्राणियों पर संकट बना रहेगा। इसलिए इतना ही सुधार लीजिये, इसको ठीक करिये और दूसरे अच्छे डाक्टर को भेजिये। मेरे ख्याल से आपका मूल प्रश्न यही है ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री अटल श्रीवास्तव जी।

<u>सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रदत्त मुआवजा</u>

[लोक निर्माण]

4. (*क्र. 1179) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2021 से 2023 तक बिलासपुर,मुंगेली एवं मरवाही जिला में एन.एच.,एडीबी, पीडब्लूडी विभाग द्वारा कौन-कौन से सड़कों का निर्माण किया गया है एवं किया जा रहा है? उक्त विभाग द्वारा सड़क के निर्माण हेतु कितने भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है? कितने भू-स्वामियों को कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया है,कितने भू-स्वामियों को अभी तक मुआवजा किन कारणों से प्रदान नही किया गया है? मुआवजा प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? उक्त मुआवजा राशि प्रदान करने में विलंब हेतु दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्रवाई की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग से जानना चाहता हूं कि महोदय आप यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक बिलासपुर -मुंगेली-मरवाही या बिलासपुर-केवची मे एन.एच.डी.पी (पी.डी.डब्ल्यू.विभाग) द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया ? मेरा पाईण्टेड प्रश्न यह है कि अभी तक भू-स्वामियों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा क्यों नहीं मिला है ? अभी इसका क्या प्रोग्रेस है ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों तरह की सड़क निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और ए.डी.बी. और पी.डब्ल्यू.डी.की जानकारी माननीय सदस्य ने पूछी है। 3 जिले बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की सड़कें हैं। इन तीनों जिलों के अन्तर्गत कुल मिलाकर 74 सड़कें हैं और इन 74 सड़कों में जो प्रभावित किसान हैं, उनकी संख्या 1836 है। इनमें से 850 किसानों को मुआवजें का भुगतान हो गया है और 986 किसानों के मुआवजे का भुगतान प्रक्रियाधीन है। कुछ प्रोजेक्ट में आपसी सहमति से क्रय हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है। कुछ सड़कों में भू-अर्जन का अंतिम आदेश होना बचा है और कुछ किसानों के पेन कार्ड राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक खाता एकत्रित की जा रही है। एकत्रित होते ही किसानों के मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जवाब में यह भी बताया है कि 58 हितग्राहियों के बैंक खाते की जानकारी नहीं है। 45 हितग्राहियों को पी.एम.एफ. की जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो हमको मध्यप्रदेश के शहडोल से जोड़ेगी। सर्वे का काम हो गया है। काम शुरू होने वाला है। परन्तु वहां के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला

है। प्रकरण लगातार लंबित होते चला जा रहा है और सड़क भी सांप जैसे मुड़ती चल जा रही है। वहां पर कुछ दलाल किस्म के लोग आ गए हैं, वे लोग किसानों को जमीन का मुआवजा दिलाने के लिए पैसे की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि यह महत्वपूर्ण सड़क है। अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। जब सड़क बनेगी तो उसका लिंक जुड़ जायेगा। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने भी पहले बात उठाई थी कि हमको एक वैकल्पिक मार्ग, केवची जाने का अचानकमार का वैकल्पिक मार्ग है, उसे भी तत्काल प्रभाव से शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा ना हो।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग से अनुमति लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमति मिलते ही सड़क ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होगा। किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हमारे पास राशि है, राशि की कोई कमी नहीं है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, किसानो को मुआवजा दिया जायेगा। वन विभाग से अनुमति मिलते ही सड़क का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक प्रश्न कर लेता हूं। वन अनुमति यानि अचानकमार टाइगर रिज़र्व के लिए ?

श्री अरूण साव :- यह जो रोड है, उसके लिए है। रतनपुर से केवची की रोड है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप जरा स्पेसीफिक बोलिये साहब। गोबरीपाठ से केवची की सड़क के लिए आप पी.डब्ल्यू.डी. से मरम्मत करायेंगे क्या ?

श्री अरूण साव :- जी, जी। उस रोड का प्रश्न नही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं है, तब भी बता दीजिये न। क्या विभाग के द्वारा गोबरीपाठ से केवची तक की सड़क का मरम्मत करायेंगे ? वन विभाग को अनुमति देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपका ही विधानसभा क्षेत्र है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। आप बोल दीजिये हां, करायेंगे।

श्री अरूण साव :- हां, आपका यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके प्रश्न पर निश्चित रूप से दोनों विभाग के अधिकारियों से बातचीत करूंगा कि कैसे उस रोड का निर्माण हो और उस रोड को कैसे उपयोगी बनाया जा सके।

<u>नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की अद्यतन स्थिति</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 2519) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 का लक्ष्य कितना था ? लक्ष्य के विरूद्ध कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कितना पूर्ण हो गया तथा कितना शेष है, कितने में कार्य जारी है? **(ख)** प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के आवेदन निरस्त होने के क्या-क्या कारण विभाग के पास आये हैं तथा विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं हैं,पर वह 30 या उससे अधिक वर्षों से अपने स्थान पर निवास कर रहे हों, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है या क्या नये नियम बनाये गये हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नही है, अपितु वर्ष 2022-23 में 38437 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत 38437 आवासों में से 5061 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण, 22229 आवासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत एवं शेष 11147 आवासों का निर्माण कार्य अद्यतन अप्रारंभ है। **(ख)** संबंधित नगरीय निकायों द्वारा योजना अन्तर्गत भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। दिशा-निर्देशो में उल्लेखित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदनों को नगरीय निकायो द्वारा अपात्र करते हुए निरस्त किया जाता है। **(ग)** प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में आबादी (प्रचलित/ सुरक्षित) भूमि पर काबिज पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप “पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र” का वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए योजना का लाभ दिया जा रहा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि वर्ष 2022-23 में 80,437 आवास की स्वीकृति मिली थी, उसमें 5,061 आवास का निर्माण हुआ है और 22,219 आवास अपूर्ण हैं। 11,147 आवास का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। आप कारण बतायें ? मैं इसी विषय पर पूछूंगा कि कितने आवेदन आये थे और कितने आवेदन निरस्त हुए, यह भी बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों के नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास के दो तरह की योजना होती है, एक योजना बेनिफिशयरी लैंड कंस्ट्रक्शन, जिसका निर्माण बेनिफिशयरी स्वयं कर्ता है और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उन्हें संख्या बताई है, इसमें एक तो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जितनी मांग आती है, उतना स्वीकृत करने का प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, इसमें पात्रता की शर्तें दी हुई है कि परिवार के नाम पर भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान न हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो और 31-8-2000 से पूर्व उस निकाय में निवासरत् हो । हितग्राही के स्वामित्व की भूमि पट्टे की आबादी की भूमि हो, यह बेनिफिशयरी लैंड कंस्ट्रक्शन के लिये होता है । अध्यक्ष महोदय, इसमें जो पात्र और अपात्र 11,147 की संख्या हैं, उसके अलग-अलग कारण है । 1415 जो हितग्राही हैं, उनके पूर्व से पक्का मकान होने के कारण वह अपात्र हैं । जो 2848 अपात्र हैं, वह या तो

तालाब के किनारे के मकान हैं या हाई टेंशन हैं, रेल्वे की भूमि है, निकाय से बाहर है, क्षेत्रफल कम है, इसके कारण से वह अपात्र हैं । अध्यक्ष महोदय, जो 2349 हितग्राही है, वह भू-स्वामी के दस्तावेज की कमी के कारण अपात्र हैं । 255 जो हितग्राही हैं, घास भूमि या वन भूमि पर काबिज होने के कारण वह अपात्र हैं । अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से भवन अनुज्ञा जारी किन्तु हितग्राही द्वारा निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिये 4280 हितग्राही अप्रारंभ है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कितने आवेदन थे, उसे तो आपने बता दिया है, उसके बाद जो काबिज हैं, उसके परिवार में अद्यतन नहीं हुआ है, क्या माननीय मंत्री महोदय उसकी पुन: जांच करायेंगे ? ऐसे भी अधिकारी हैं या अन्य हैं जो अपात्र के लिये पक्का मकान बताते हैं, उस पक्का मकान में एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, ऐसे सदस्य का अलग-अलग बंटवारा करके पात्रता निर्धारित करके आवास देंगे क्या ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर और ग्रामीण दोनों के लिये बनाया है, ताकि जरूरतमंदों को पक्का मकान मिल सके । अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है, हम लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिये पात्रतानुसार कार्यवाही कर रहे हैं और जिन लोगों के मकान अपात्रता की श्रेणी में प्रारंभ नहीं हुये हैं, उसके दस्तावेज प्राप्त होने पर निश्चित रूप से उन्हें मकान मिलेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न में था कि क में ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन 30 से अधिक वर्षों से काबिज हैं, इसके लिये कोई गाईडलाईन है क्या ? इस पर छत्तीसगढ़ सरकार का गाईडलाईन क्या है, दिशानिर्देश के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी एवं सम्मिलित, इसमें आपने आबादी सुरक्षित बोला है । शहर में सुरक्षित आबादी नहीं होता है, नजूल होता है और बहुत लोग सरकारी जमीन में काबिज हैं, क्या हितग्राहियों को पट्टे देकर आवास उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रधानमंत्री आवास देने की योजना बनाई है । वह भू-स्वामी तो नहीं है, वर्षों से आबादी भूमि पर काबिज है, प्रचलित आबादी पर काबिज है, उनको पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल सकती है । नजूल जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनके लिये अफोर्डेबल हाउंसिग इन पार्टनरशिप की दूसरी योजना है। उस योजना का भी लाभ बड़ी संख्या में हितग्राही ले रहे हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण भूमि है, उसे आबादी भूमि कहा जाता है और शहर को नजूल कहा जाता है । नजूल की जमीन देने में आपत्ति क्या है ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि नजूल की जमीन पर व्यक्ति की माल्कियत नहीं होती है, वह लीज होल्डर होता है, नजूल की जमीन पर यदि वह सही में अपात्र है तो निश्चित रूप से मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी ।

सहकारी समितियों को धान खरीदी हेतु प्रदत्त कमीशन

[सहकारिता]

6. (*क्र. 2498) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रति क्विंटल धान खरीदी किये जाने पर सहकारी समितियों को 32 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाता है? यदि नहीं तो कितना रूपये दिया जाता है? **(ख)** यदि हां, तो क्या यह कमीशन की राशि पिछले वर्ष से अभी तक सहकारी समितियों को नही दी गयी है? **(ग)** यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं दी गयी है और पूरे प्रदेश में कितनी सहकारी समितियों को कितनी राशि दिया जाना शेष है, जिलेवार, ब्लॉकवार जानकारी देवें तथा कब तक उक्त राशि को सहकारी समितियों को दिया जाना है और अभी तक नहीं दिए जाने का क्या कारण है? **(घ)** 32 रूपया या प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त होने वाली राशियों से सहकारी समितियां किन-किन कार्यों में इन राशियों को व्यय करती हैं? ये राशि समितियों को प्राप्त हो इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रति क्विंटल धान खरीदी किये जाने पर सहकारी समितियों को मोटा धान हेतु 31.25 रूपये एवं पतला धान हेतु 32 रू. प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाता है। **(ख)** वर्ष 2022-23 तक सहकारी समितियों को कमीशन की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में धान के निराकरण पश्चात् विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर कमीशन का भुगतान किया जावेगा। **(ग)** वर्ष 2023-24 में धान के निराकरण पश्चात् विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर ही कमीशन राशि ज्ञात हो पाएगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्राप्त कमीशन राशि का व्यय सहकारी समितियां प्रबंधकीय व्यय एवं देनदारियों के भुगतान हेतु करती है। कमीशन की राशि अंतिम लेखा मिलान पश्चात् समितियों को प्राप्त हो जाती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से सहकारी समिति के कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रश्न पूछा है। उसका जवाब आया है कि वर्ष 2023-24 का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर कमीशन की राशि दी जायेगी। आप अंतिम लेखा का मिलान कब कर लेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2023-24 के संदर्भ में जानकारी चाही है। उसमें जो धान का उठाव है, जब वह पूरा होगा और हम उसके पश्चात अंतिम मिलान करके तत्काल राशि दे देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सूखत की मात्रा है। इसमें जो 32 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाता है, उसकी कोई मदवार जानाकरी है कि किस-किस मद से मिलाकर 32 रूपये दिये जाते है ?

श्री केदार कश्यप :- कृपया प्रश्न दोहराईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो मोटे धान में और पतले धान में कुल मिलाकर 32 रूपये दिये जाते हैं। किस-किस मद से वह राशि दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह जो 31.25 रूपये और 32 रूपये दिये जाते हैं, क्या उसका कुछ ब्रेकअप है ? किस-किस मद से कितनी राशि दी जाती है ? अलग-अलग मदवार जानकारी बता दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। कोई और प्रश्न है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है कि सूखत में कितने प्रतिशत तक की छूट है ? पिछली बार जो वर्ष 2022-23 में भुगतान किया गया है, उसमें सूखत के अनुसार कितनी सहकारी समिति सोसायटी के ऊपर कार्रवाई की गयी है और कितनी राशि की कटौती की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप सूखत कितना काटते हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने गत वर्ष में जो सहकारी समितियों को राशि प्रदान की गयी है। उसके तहत हमारे माध्यम से लगभग 270.12 करोड़ रूपये की कमीशन राशि का भुगतान किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि सोसायटियों को जो सूखत में छूट दी जाती है, उसमें सूखत का प्रतिशत कितना है ?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, जिसमें धान शॉर्टेज की कटौती 1.82 करोड़ रूपये है और विपणन संघ के शेष बारदाने की कटौती लगभग 33.84 प्रतिशत है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने सूखत को लेकर कितनी सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई की है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में उसकी जानकारी नहीं है, मैं माननीय सदस्य को उसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी, लता उसेंडी जी का प्रश्न करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन व शासकीय सेवा में नियुक्ति

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

7. (*क्र. 2562) सुश्री लता उसेंडी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किन-किन खेल अंतर्गत किया गया. उक्त उत्कृष्ट खिलाडियों के चयन हेतु क्या-क्या मापदंड एवं अहर्ताएं हैं? **(ख)** राज्य में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान की गई है, वर्ष वार जानकारी देवें. **(ग)** विभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों चुने जाने हेतु जिला-कोण्डागांव अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने आवेदनों का निराकरण किया गयातथा कितने निराकरण हेतु शेष हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन नहीं किए गए हैं। प्रश्न का शेष भाग संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है। **(ख)** राज्य में प्रश्नाधीन वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान नहीं की गई है। **(ग)** प्रश्नाधीन वर्षों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चुने जाने हेतु आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया है। प्रश्न का शेष भाग संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गयी ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही कि वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गयी। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2018 तक थी, तब तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। उसके बाद सरकार बदलने के बाद वर्ष 2018-19 में आवेदन तो आमंत्रित किये गये और संचालनालय में उसकी छंटनी भी हुई। उसमें सेक्रेटरी के बाद सी.एम. साहब को भेजा गया, सी.एम. साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, फिर वर्ष 2018-19 से कांग्रेस सरकार के रहते तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची प्रकाशित नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- क्या 05 साल तक कोई उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची बनी ही नहीं ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, नहीं बनी और न ही कोई अलंकरण समारोह आयोजित हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, और न ही किसी को नौकरी दी गयी।

अध्यक्ष महोदय :- अद्भुत। चलिये आपका जवाब आ गया। आपको और कुछ पूछना है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्नांकित उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने जवाब तो दे दिया। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बता दिया कि 5 सालों तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी ही नहीं की। इसलिए शासकीय नौकरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह सरकार की असफलता है। यह माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में बता दिया। अब इसमें क्या शंका है। यह पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होता है। इसमें प्रश्न कैसे उत्पन्न हो जाएगा, आप बताईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उस सरकार ने 5 सालों में बिल्कुल नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने भी कह दिया और आपने भी बता दिया। पूर्व में यह खेल खिलाड़ियों की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते रहे। अब आप यह बताने की कृपा करिये कि क्या अब आप उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन शासकीय सेवा में करेंगे ? और यहां उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे ? क्योंकि हिन्दुस्तान के हर प्रदेश हरियाणा, यू.पी., पंजाब सभी जगहों में नौकरी देने का काम, पहलवानों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं आप खिलाड़ियों का चयन करें और यहां उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे या नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे ? आप लम्बा प्रश्न न करें। आप छोटा-छोटा प्रश्न करिये।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार आते ही फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंलकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी हो गई है। (मेजों की थपथपाहट) जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा, वैसे ही यह अलंकरण समारोह आयोजित होगा। आने वाले साल में भी अंलकरण समारोह आयोजित हो, इस प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित हो, उनके लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देंगे या नहीं ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2007 में नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत सभी काम होंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार थी उसमें मंत्रिमण्डल की बैठक में यह गाईड लाईन पास हुई थी कि जो प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं..।

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी से कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी न हुआ है, न होगा और कोई पैदा हुआ है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप भी वही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक कौन सा खेल खेलते हैं उसे जनता ने देखा ही नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन खिलाड़ियों को...।

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके 14 खिलाड़ी हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है और इसके लिए प्रत्येक विभाग को पत्र लिखा गया था। आपके कार्यकाल में बहुत से विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी मिली। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप प्रत्येक विभाग को खिलाड़ी कोटे से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए पत्र लिखेंगे, उसमें उनका कितना प्रतिशत है, आप उससे अवगत करायें ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होते हैं उनके लिए शासकीय नौकरी में 2 प्रतिशत का आरक्षण है। जो नियोक्ता अधिकारी हैं, उनको वह आवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वर्ष 2009-10 से शुरू हुआ था। उस कार्यकाल में लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुए हैं और उनको शासकीय सेवा भी मिली है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी आप हर विभाग को लिखेंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में दूसरे खिलाड़ी नौकरी पा रहे थे। यहां ओरिजनल हॉकी खिलाड़ी शासकीय नौकरी नहीं पा रहे थे। यहां कहां-कहां से दारू, कोयला वाले सब खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी मिल गई थी।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न था कि हर विभाग को गाईड लाईन के अनुसार दिशानिर्देश का पत्र लिखकर अवगत करायें, जिससे हर विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नौकरी सुरक्षित हो और यहां उन्हें शासकीय नौकरी मिले।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग से भी जिस पद के लिए विकेंसी निकलती है, उसमें दो प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहता है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की पी.एस.यू. जैसे एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. रेलवे अन्य संस्थानों में भी राज्य से अनुशंसा के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती हैं। पिछले 5 सालों से दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप उसके लिए पत्राचार करेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी सीनियर वर्ग के ओलम्पिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमन वेल्थ, एशियार्ड, एशियन चैम्पियनशीप में जो पदक प्राप्त करते हैं। चाहे सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार में शहीद राजीव पाण्डे, गुण्डाधूर पुरस्कार, प्रवीणचंद भंजदेव इन सब को मान्यता है और इनमें शासकीय सेवा के लिए आरक्षण मिलता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सुशान्त जी भावना बोहरा जी का प्रश्न करेंगे।

कबीरधाम जिले में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

8. (*क्र. 2543) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले में वर्ष दिसंबर, 2019 से वर्ष मार्च, 2023 तक की स्थिति में कहाँ-कहाँ पर खेल मैदान, मिनी स्टेडियम एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंतर्गत स्टेडियम निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर से शासन को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें। **(ख)** खेल मैदान मिनी स्टेडियम के संबंध में विगत दो वर्षों में कहाँ-कहाँ के लिए, कितनी राशि की स्वीकृती प्रदान की गई है? विकासखंडवार जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) कबीरधाम जिले में प्रश्नाधीन अवधि में खेल मैदान एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, मिनी स्टेडियम अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।(ख)** खेल मैदान, मिनी स्टेडियम के संबंध में विगत दो वर्षों में कोई राशि स्वीकृत नहीं हुआ है। प्रश्न का शेष भाग संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है।[3]

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी कबीरधाम जिले में कहां-कहां निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम हैं, जो कबीरधाम जिले में निर्माण हो रहे हैं। इसकी जानकारी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मिनी स्टेडियम बनाने का काम खेल एवं युवक कल्याण विभाग का नहीं है। आपकी सरकार में माननीय अजय चन्द्राकर जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में बहुत से मिनी स्टेडियम बने हैं, उसमें हमारा बलौदाबाजार जिला भी लाभान्वित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपका काम नहीं है। आप बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ही जुड़ा एक पूरक प्रश्न है कि खेल मैदानों के बनने के बाद देखने में यह आता है कि उनके मेन्टेनेंस का अभाव रहता है और वह खेल मैदान जिस

[3] परिशिष्ट "तीन"

लागत से बनते हैं, वह बहुत जल्दी जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं। क्या इन खेल मैदानों को मेन्टेनेंस की व्यवस्था देने का कष्ट करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- क्या खेल मैदानों के मेन्टेनेंस के लिए कुछ खर्च करते हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल विभाग से जो मैदान बने हुए हैं, उनके मेन्टेनेंस का काम खेल विभाग करता है।

नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत साडा के समय आबंटित भूखंड पर भवन स्वीकृति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (*क्र. 1359) श्री रिकेश सेन : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगर पालिक निगम भिलाई जिला-दुर्ग के अंतर्गत साडा के कार्यकाल में हुई 293 भूखंडों की व्यक्तिगत रजिस्ट्री युक्त भूखंडों की भवन स्वीकृति क्यों नही दी जा रही है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार भवन स्वीकृति न मिलने से नगर निगम भिलाई को हो रही राजस्व की क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही हुई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) मध्य प्रदेश शासन के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 2362/2354/18-2/2000, दिनांक 18.09.2000 के द्वारा आगामी आदेश तक प्रशासनिक दृष्टि से अचल संपत्ति अंतरण नियमों के अंतर्गत भूमि लीज पर दिये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। महापौर परिषद की बैठक दिनांक 30.11.2000 एवं दिनांक 02.02.2001 में जिन प्रकरणों में लीज का निष्पादन नहीं हुआ है, शासन के आदेश आने तक लंबित रखे जाने एवं 293 प्रकरणों में किसी भी प्रकार की भवन अनुज्ञा/नामांतरण/अंतरण एवं भू-भाटक नहीं लेने इत्यादि पर शासन के निर्देश आने तक रोक लगाई गई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा लगाई गई प्रतिबंध को विभाग के पत्र दिनांक 29 अगस्त 2020 द्वारा समाप्त किया गया है। **(ख)** नगर पालिक निगम भिलाई के गठन पश्चात् वर्ष 1998-1999 एवं 1999-2000 में आबंटित दुकान/भू-खण्ड में प्रब्याजी राशि कम प्राप्त करने के कारण 292 प्रकरणों में हुई हानि के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था। वर्तमान में विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-3/2022/18 दिनांक 25 मई 2022 द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के अंतर्गत निहित शक्तियां अचल संपत्ति के अंतरण हेतु जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है। जिसके अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई को विभाग के पत्र दिनांक 08.08.2023 एवं 02.02.2024 द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भिलाईवासियों के लिए बड़ा दिन है कि 30 साल विधान सभा में एक प्रश्न आया है। प्रश्न यह है कि साडा के समय में 300 भूखंड साडा ने

अलग-अलग लोगों, दुकानदारों, रहवासियों को आवंटित किये थे। उसकी रजिस्ट्रीयां हो चुकी हैं, उसका आज दिनांक तक न बिल्डिंग परमीशन, न भवन अनुज्ञा दी गई है, न नामांतरण और न ही अंतरण किया गया है, यहां तक कि नगर निगम को कोई टैक्स भी आज दिनांक तक नहीं दिया जा रहा है। इसमें बीच में यह फैसला आया कि कलेक्टर महोदय को इसकी जवाबदारी दी जाती है कि कलेक्टर अपने स्तर पर इसको निराकरण करे। लेकिन आज दिनांक तक कम से कम 18 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं लेकिन इन 300 भूखंड में कोई भी फैसला नहीं आया है। बल्कि यह होता है कि जो भी व्यक्ति अगर कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट से उनको अनुमति मिल जाती है। ऐसे 40 लोगों को कोर्ट से अनुमति मिली है कि आप अपना मकान बना सकते हैं। लेकिन वह 40 लोग भी आज दिनांक तक नगर निगम में कोई टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं जिससे एक बड़ी राजस्व की क्षति नगर निगम भिलाई को हो रही है। यह जो 300 लोग जो 3 साल से उम्मीद में हैं, लोगों के बड़े-बड़े मकान बन चुके हैं, इनको सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन हमको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्योंकि यह बड़ा फैसला है। भिलाई नगर निगम के हित के लिए पहली बार इसके निर्णय के लिए सदन में यह प्रश्न आया है। जब आप माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय आपने निर्देश दिया था। भारतीय जनता पार्टी के मेनोफेस्टो में था कि इसका निराकरण करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका निराकरण 30 सालों बाद करके वह 300 भूखंड धारियों को इसका लाभ देंगे और क्या आप इसको रेग्यूलाईज करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई नगर निगम से पूर्व विशेष क्षेत्र प्राधिकरण जिसे साडा कहा जाता है, दिनांक 05.09.1998 को साडा abolish हुआ और भिलाई अलग नगर निगम बना। तब साडा के जो नियम थे, उसके हिसाब से भूखंड का आवंटन होता था। फिर नगर निगम बनने के बाद, नगर निगम में सपंत्ति अंतरण अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुरूप नीलामी के द्वारा भूखंड का आवंटन होता रहा है। इस बीच साडा के द्वारा, नगर निगम के द्वारा नीलामी के द्वारा जो भूखंड आवंटित किये गये, उसके खिलाफ शिकायत हुई और एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दर्शित कुल 294 भूखंडों के निवर्तन में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों एवं स्थापित नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है। जिससे जहां एक ओर अनियमित विकास की संभावना बनी है, वहीं दूसरी ओर निगम को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा है।

श्री रिकेश सेन :- मैं आपको एक मिनट इसलिए टोकना चाहता हूं क्योंकि आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वह गलत जानकारी दी गई है। जबकि शासन ने यह निर्णय लिया है कि वहां पर बिल्कुल अनियमितता नहीं पाई गई है और प्लाट को सही दर पर बेचा गया है। मध्यप्रदेश सरकार के समय में एक ज्वाईंट कमेटी बनाई थी। इसलिए आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वह आपको सदन में गलत जानकारी दी जा रही है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पढ़ रहा हूं वह enquiry report की ही कापी है, जो मध्यप्रदेश के समय enquiry committee बनी थी, उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट की प्रति है जिसका मैंने यहां पर उद्धरण किया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये, जवाब मंत्री जी देंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बस यही है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन ने संपत्ति अंतरण का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया है। मुझे लगता है कि इस मामले का जल्दी ही पटाक्षेप हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका और कोई प्रश्न है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज पूरा भिलाई के तीन विधान सभा की नजर सदन पर है। चूंकि मैं इसमें पेंडिंग नहीं चाहता, इस पर निर्णय चाहता हूं, क्योंकि इस मामले को 30 साल हो चुके हैं और अब 30 सालों में लोग चाहते हैं कि उनके घर का मालिकाना हक मिले। इस मामले में 40 लोग कोर्ट जा चुके हैं और 40 लोगों को कोर्ट से निर्णय हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- रिकेश जी, मंत्री जी ने कहा है कि इसका शीघ्र ही सम्पूर्ण निराकरण कर देंगे तो आपको भरोसा करना चाहिए।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, शीघ्र बोलते-बोलते 30 वर्ष हो गये हैं। मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आज निर्णय लीजिये, क्योंकि जो 40 लोग कोर्ट गये हैं, उनको तो आपने अनुज्ञा दे दी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। भाषण ना दें।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, दिनांक 08.08.2023 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 1994 के अंतर्गत निहित शक्तियां अचल संपत्ति के अंतरण हेतु जिले के कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित की गई है। निश्चित रूप से इस मामले में इस अधिकार के प्रत्यायोजन के बाद कलेक्टर की ओर से कार्रवाई होगी और जो 293 प्लॉट होल्डर हैं, इनकी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा।

श्री रिकेश सेन :- मंत्री जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। आपने कह दिया कि आपने कलेक्टर को अधिकार दे दिया है, लेकिन माननीय मंत्री जी, कम से कम इतना कर दीजिये, आप कलेक्टर को समय-सीमा दे दीजिये, क्योंकि 18 कलेक्टर बदल चुके हैं। 18 कलेक्टर के पहले भी यह बात आई थी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम कलेक्टर को एक समय-सीमा तय कर दीजिये कि कितने दिन में निराकरण करना है। क्योंकि मुझे फिर से लोकसभा चुनाव में जाना है और मैं अपने लोकल मेनिफेस्टों में इसी बात को कही है, लोगों का

आश्वासन दिया है। आप सबकी नजर सदन पर है। कम से कम एक लाख घरों पर है टी.व्ही. ऑन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर को समय-सीमा दे दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को जो अधिकार प्रत्यायोजित हुई है, वह दिनांक 08.08.2023 का आदेश है और यह बहुत पुराना मामला है। इसलिए समय-सीमा बताने के बजाय मैं कलेक्टर से भी कहूंगा कि वह इस मामले का जल्दी से पटाक्षेप करें, निराकरण करें।

श्री रिकेश सेन :- मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चार लाईन कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका केवल भिलाई और दुर्ग का ही टी.व्ही. ऑन नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का टी.व्ही. 11 से 12 बजे तक ऑन रहता है।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के लिए बस दो लाईन कहना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पहले उनका दो लाईन हो जाने दीजिये।

श्री रिकेश सेन :-

किसकी तलवार पर सर रखू यह बता दो मुझे,
आवाज उठाना अगर खता है तो सजा दो मुझे,
ऐ विधान सभा के इतिहास लिखने वालो,
मैं अगर गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे।

इसलिए आपका ऐलान बहुत आवश्यक है। यह ऐलान जनहित में होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आज आपने इतिहास रचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न आ रहा है। आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर मेरा सीधा सवाल है कि यह प्रकरण बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और इसमें जो जांच समितियों के निर्देश आए हैं, उस पर भी स्पष्टता आ चुकी है और यह कोई भी प्रकरण अभी कोर्ट में लंबित नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरा यह अनुरोध है कि इस पर कोई समय अवधि तय करेंगे कि इस समय अवधि के तहत शासन-प्रशासन इस पर निर्णय करके जो राजस्व की हानि हो रही है उस पर भी, जो बिना बिल्डिंग परमीशन लिये लोगों के मकान बन गए हैं उन पर भी और जिन लोगों के मकान अभी तक नहीं बन पाये हैं, उस पर भी शासन कोई न कोई फैसला करें? तो क्या आप इसकी समय अवधि तय करेंगे?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चरण दास महंत जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, इसका कोई फैसला नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई समय अवधि तय करेंगे तो लोगों के लिए हित होगा।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, सवाल पूछिये।

निजी भूमि के सागौन वृक्षों की कटाई, परिवहन, भुगतान आदि में गंभीर अनियमितता के प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

10. (*क्र. 2531) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वनवृत्त दुर्ग के वन मंडलों में निजी भूमि के सागौन वृक्षों (मालिक मकबूजा) की कटाई, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं भुगतान में अनियमितता के क्या-क्या प्रकरण वर्ष 2022-2023 तथा 2023-2024 में प्रकाश में आए हैं? अनियमितताओं के विवरण सहित बताएं? अधिक भुगतान करने के कारण शासन को कितनी-कितनी आर्थिक क्षति हुई है? प्रकरणवार बताएं ? (ख) प्रश्न के भाग (क) की अनियमितताओं के लिए जांच में किन-किन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्तरदायी पाया गया है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाहियां की गई हैं? क्या आर्थिक क्षति की ब्याज सहित वसूली की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) उपरोक्त प्रकरणों में कार्यवाही करने में विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक आरोप पत्र जारी किये जाएंगे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) दुर्ग वृत्त के अंतर्गत वनमंडल-कवर्धा, दुर्ग बालोद, राजनांदगांव, मोहला एवं खैरागढ़ में निजी भूमि के सागौन वृक्षों (मालिक मकबूजा) के वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में हुई कटाई, परिवहन, क्रय-विक्रय में अनियमितता से संबंधित कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं।वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में अधिक भुगतान से संबंधित प्रकरण वर्ष 2022-23 में प्रकाश में आये है। प्रकरणवार विवरण संलग्न[4] "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।संबंधित कलेक्टर के कटाई के लिये जारी अनुमति में यह उल्लेखित है कि काटे गये वृक्ष के काष्ठ को विक्रय पश्चात प्रतिफल की राशि का भुगतान हितग्राही को किया जावे अतः कलेक्टर के आदेशानुसार हितग्राहियों को भुगतान किया गया।मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वन वृत्त द्वारा प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुये अधिक भुगतान की राशि जमा किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 76 हितग्राहियों को किये गये अधिक भुगतान की राशि रूपये 29,26,939/- की वसूली की गई। अधिक भुगतान की राशि तथा वसूली की तिथि का प्रकरणवार विस्तृत विवरण संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है। (ख) वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में अधिक भुगतान के संबंध में वर्ष 2022-23 में अनियमितता की जांच में श्री एम.एल. लहरे, मुख्य लिपिक एवं श्री दिलीप

---

[4] परिशिष्ट "चार"

कुमार राजपूत, सहायक ग्रेड-02 तत्कालीन राजस्व शाखा प्रभारी, कार्यालय खैरागढ़ वनमंडल को उत्तरदायी पाया गया। उपरोक्त कर्मचारियों को अनियमिमता के लिये उत्तरदायी पायी जाने के कारण उनके विरूद्ध जांच करायी जाकर कथित तौर पर अनियमितता पाये जाने फलस्वरूप 01-01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरोधित की गई है एवं आरोप पत्र जारी कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। वर्तमान में विभागीय जांच जारी है।संज्ञान में आये 76 प्रकरणों में अधिक भुगतान की राशि 29,26,939/- को हितग्राहियों द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा किये जाने के फलस्वरूप शासन को कोई आर्थिक क्षति नही हुई है। अतः ब्याज की वसूली का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। (ग) खैरागढ़ वनमंडल में अंतर की राशि अधिक भुगतान होने संबंधी उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आते ही अविलंब कार्यवाही की गई है। विलंब के लिये कोई उत्तरदायी नही है। अतः आरोप पत्र जारी किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के लिए समय बहुत कम है। इसलिए मैं कुछ सवाल आपके ही सामने रख देता हूं। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपसे ही कह देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मालिक मकबूजा पर आधारित है। व्यक्तिगत लोगों के जमीन से जब सागौन के पेड़ काटे जाते हैं तो उसके लिए सीधा-सीधा नियम बना है कि वह पहले शासकीय डिपो में जायेगा। शासकीय डिपो वाले उसको नीलामी करेंगे और उसका जो भी पैसा होगा, वह पांच तुकड़ों में किसान को मिलेगा और उससे नीलामी के बाद जो भी कम ज्यादा हो, उसको वन विभाग जानेगा। सर, मैं आपकी जानकारी में सिर्फ यह बता रहा हूं। मेरे पास में वर्ष 2022-2023 की जो जानकारी है, उस हिसाब से मैं बता देता हूं कि वर्ष 2022-2023 में दिनांक 13.03.2023 को 76 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसमें वर्ष 2021 के कुल 2807 नग लट्ठा मतलब 128.866 घनमीटर और 332 नग बल्ली 4548 घन मीटर का परिवहन सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में नागपुर को गया है और इसके लिये 12 टी.पी. बनाये गये हैं । चूंकि डी.एफ.ओ. टी.पी. बनाते हैं, डी.एफ.ओ. के खिलाफ जांच में साबित हो गया, यह पाया गया कि डी.एफ.ओ. के निर्देश पर टी.पी. बना है लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन डी.एफ.ओ. पर कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उनका प्रमोशन हो गया । यह जानकारी देनी थी और इसी मालिक मकबूजा के सभी प्रकरणों में 29 लाख 26,939 का भुगतान अधिक हो गया और इसके लिये एक लिपिक और एक सहायक ग्रेड-3 इनको दोषी मानकर के इन्हें निलंबित कर दिया गया उसका उत्तरदायित्व उन पर निर्धारित कर दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि डी.एफ.ओ. यदि टी.पी. देगा और यह लिपिक महोदय और आपके सहायक ग्रेड-3 को सस्पेंड कर देंगे और इतनी बड़ी शासकीय संपत्ति का इसी तरह से नुकसान हो रहा है और दुर्ग जिले में हो रहा है जो कि बहुत ही वी.आई.पी. जिला है और कांकेर या बस्तर के बाद मालिक मकबूजा की जमीन का यह ऐसा दूसरा केस है, क्या आप इस पर कोई सीरियस कार्यवाही कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बताईये ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के तहत् में मालिक मकबूजा के अंतर्गत हमारे भूमि स्वामी की जमीन में यदि स्वयं उपजित पेड़ हैं उनके लिये जो कटाई का प्रावधान है वहां पर वर्ष 1959 से, जब से मालिक मकबूजा उसमें आया है तो कलेक्टर दे रहे थे लेकिन वर्ष 2022 से अब एस.डी.एम. के माध्यम से उसकी अनुमति मिल रही है और यह जो कटाई का मामला है इसमें विभाग का कोई अधिकारी संलिप्त नहीं था । चूंकि इसमें कोई क्रय-विक्रय का मामला नहीं है और न ही परिवहन का मामला है, जो आप कह रहे थे । इस प्रश्न से संबंधित यह विषय नहीं है । जो 76 मामले हैं, इन 76 मामलों में जो लिपिकीय त्रुटि है, लिपिकीय त्रुटि के कारण वहां पर लोगों को जो अतिरिक्त राशि दी गयी, जिसमें हमको 1 करोड़ 52 लाख 83,853 यह भुगतान किया गया जबकि उसमें हमको 1 करोड़ 23 लाख 56914 रूपये भुगतान करना था इस तरीके से 29 लाख 26939 रूपये यह अतिरिक्त भुगतान किया गया था जो लिपिकीय त्रुटि के कारण से हुआ, हम लोगों ने उस पैसे की भी वसूली कर ली है और इसको विभाग के माध्यम से नहीं किया गया क्योंकि इसकी तो अनुमति वहां से दी जाती है और इसमें जो दोषी था उनकी भी हम लोगों ने जो वेतन वृद्धि है उसको भी असंचयी प्रभाव से हम लोगों ने रोका हुआ है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़कर बताया और पूरे 2807 नग लट्ठा यह छत्तीसगढ़ से नागपुर परिवहन हुए हैं तो क्या इनकी अनुमति से नहीं हुआ ? आपके पास यह जानकारी तो होगी कि क्या इसको कलेक्टर ने अनुमति दे दी ? क्या इसे एस.डी.ओ. ने अनुमति दे दी ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी जो प्रश्न कर रहे हैं वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । यदि वह विषय अलग होगा तो एक-बार मैं भी दिखवा लूंगा लेकिन यहां पर आपने जो प्रश्न किया है इसमें 76 कृषकों को मालिक मकबूजा के तहत् में जो अतिरिक्त राशि दी गयी, उसके संदर्भ में आपने प्रश्न किया है । इसमें कहीं पर भी विभाग के माध्यम से इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और जो बकाया राशि है, उस बकाया राशि की वसूली हमारे विभाग ने कर ली है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:00 बजे

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ सूचना देनी पड़ रही है। आप तो जानते ही हैं कि आज हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की माता श्री का कल शाम को निधन हो चुका है। सब की मां मां ही है। उनके जाने से हम सबको दुख हुआ है और मैं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप पूरे सदन की ओर से मां को आप श्रद्धांजलि कर दें। माननीय, जैसा कि अक्सर ये मेरे विरूद्ध में जाते हैं। इसको कोई परंपरा न मानें। वरिष्ठ मंत्री की मां की आकस्मिक मृत्यु हो गई। आज विधान सभा चल रहा है। हम लोग यहां बैठे हैं, इसलिए इसे विशेष मानते हुए इसको आने वाले समय के लिए भले ही आप नियम कानून न बनायें, मगर मेरी इच्छा है कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, परंपराएं न माना जाए, ठीक है। क्योंकि अभी उनके funeral का कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग यहां हैं। निश्चित रूप से साथ के साथी, वर्षों से साथ काम कर रहे हैं तो यह बात अटपटी लगती है और चूंकि यह संयोग अचानक निर्मित हुआ है कि माताजी का अचानक देहावसान हो गया है, जिसे हम लोगों को कल्पना नहीं थी। वैसे माताजी पूर्ण आयु करके लगभग 91 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण परिवार की संपूर्ण गतिविधियों को अच्छी स्थितियों में देखकर ही देव लोक गयी हैं। तो नेता जी के स्वर से अपने दल की भी बातों को जोड़ते हुए मैं अपने दल की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि माननीय बृमजोहन जी की माता जी के प्रति समर्पित करता हूं।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रिमंडल के बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी की माता जी के निधन का दुखद समाचार हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और मां का जाना तो अपूरणीय क्षति होती है। मां की कमी की भरपाई कोई कर नहीं सकता है और ऐसे दुख की घड़ी में हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ सहभागी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत ही दुखद समाचार हम सबको कल रात में मिला और बृजमोहन जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ। 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा। मुझे लगता है कि पूरा सदन और पूरे सभी विधायक उनसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबकी ओर से बृजमोहन जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और विधान सभा में आप सबने इस विषय पर चर्चा

की, इसके लिए भी विधान सभा की ओर से शोक संदेश उनके परिवार को भेजा जायेगा। विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.04 बजे से 12.17 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.17 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल की सूचना आपने प्रारंभ की थी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है । जिसके बारे में बात करेंगे । बहुत जरूरी है, मैं उसको शून्यकाल में उठा देना चाहता हूं । सारंगढ़ उप जेल में कल एक अनुसूचित जाति के कैदी के साथ काफी मारपीट हुई है और जो वायरल होकर आ रहा है, उसके मुताबिक तो उसकी काफी दुर्दशा बना दी गई है । जेल तो हम लोगों को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, मगर वहां पदस्थ जेलर जिस ढंग से उस व्यक्ति के साथ, उस कैदी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है । मैं आदरणीय जो भी मंत्री इससे संबंधित हों, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे तत्काल इस पर कार्रवाई करें । ऐसे दोषी पाए जाने पर उस अधिकारी को तत्काल निलंबित करें ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, यहां पर कानून व्यवस्था पर लगातार चर्चा हो रही है । जहां पर बार-बार यह बात आ रही है कि न महिलाएं, न बच्चे, न बैगा, न गाय और कल के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं हैं । कल लखनपुर थाने में जहां पर सरगुजा आई.जी. साहब कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रेस कांफ्रेस कर रहे थे, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता जाकर एस.ई.सी.एल. के कोयला चोरों पर शिकायत हुई थी, जिनको पकड़ा गया था । वहां जाकर हंगामा और पुलिस वालों को देख लेने और उनको मारने की धमकी देने की बातें सामने आई हैं । गंभीर विषय है इस पर मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अध्यक्ष महोदय, हमने आपको स्थगन की सूचना दी है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है । मनरेगा के हमारे भाई हैं जो काम करते हैं । जिनको पिछले कई महीनों से पेमेंट नहीं हुआ है । ये सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं है । कल अजय चन्द्राकर जी ने इस पर ध्यानाकर्षण भी लगाया था कि हमारे यहां कितने लोगों का अपहरण हो गया है, कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों को प्लेसमेंट एजेंसी यहां से ले गई है । यह इससे भी जुड़ा हुए मामला है । अध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो लोग पलायन करेंगे और उसका उपयोग प्लेसमेंट एजेंसी भी करती है और वहां लेजाकर मजदूरी कराते हैं और उनको पेमेंट भी नहीं देते,

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

उनको किसी तरह का काम भी नहीं रहता । इसलिए बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें सारे काम को रोककर चर्चा कराएं । इस बारे में सारे विषय लेकर आएंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन लाया है। आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में खरीफ फसल के बाद, धान की फसल लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता और मांग रहती है। लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी रोजगार और काम उपलब्ध नहीं है जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर सभी जिलों से पलायन कर रहे हैं। हमारे साथी ने बताया कि मनरेगा में पिछले वर्ष लगभग 600 करोड़ रूपए का भुगतान होना था, वह भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इसके चलते स्थिति और भी भयावह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में लगभग 38 लाख पंजीकृत मजदूर हैं, वह काम करते हैं। मैं अपने बीजापुर जिले की बात कर रहा हूं। बीजापुर जिले में लगभग 20 हजार मजदूर तेलंगाना में मिर्ची तोड़ने के लिए पलायन कर चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वे लगातार परेशान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय स्थगन पर चर्चा की जाए, इसमें माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की गरीब परिवार के समक्ष रोजगार के अभाव में भूखों करने की स्थिति निर्मित हो रही है। ये सभी जिलों की बात है, सभी जिलों के लोग पलायन करने की स्थिति में है। हम लोगों ने स्थगन लाया है, इस स्थगन पर चर्चा कराई जाए।

(माननीय सदस्य, श्री रामकुमार यादव द्वारा हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- भाई, स्थगन में सबको नहीं बोलना है, नेता जी ने बोल दिया है। नेता जी की तरफ से सबकी भावना आ गयी। नेता जी, सबकी ओर से बोलेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जंगल एरिया में रहते हैं, वे बहुत कुछ मनरेगा पर निर्भर रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक हो गया। नेता जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले में पूरा सदन चिंतित है। अक्टूबर 2023 के बाद से कोई भी मनरेगा के काम करने वालों को पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोगों ने दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर देखा है कि पहाड़ में रहने वालों को, गरीबों को, खेती बाड़ी या जो भी है, जंगल के वनोपज के संग्रहण के लिए मात्र एक डेढ़ महीने मिलते हैं। उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता। हमने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से निवेदन किया था कि इस तरह से मनरेगा का काम स्वीकृत करें ताकि लोगों को रोजगार दे सकें। हमारा यह निर्णय था कि हम लोग 100 दिन रोजगार देंगे ताकि गरीब लोग अपना भरण पोषण कर सकें। अध्यक्ष महोदय,

यहां जो कार्डधारी हैं, उनकी संख्या लगभग 35 लाख, 25 हजार, 309 है। जिनको 100 दिन का रोजगार मिला है, उनकी संख्या मात्र 2 लाख है। इस 2 लाख परिवार में से 1 लाख 2 हजार परिवार आदिवासी हैं, लगभग 12 लाख परिवार को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया है। स्वाभाविक है, जब हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम लोग पलायन करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का सदियों से दुर्भाग्य रहा है, महराज, पलायन का शिकार तो हमारे दादा परदादा भी हुए थे। आप जानते होंगे, मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है, मेरा परिवार भी पलायन करके असम जाता था, वहां के चाय बागानों में काम करते थे, हमारे जो गुरूदेव हैं, गुरू घासीदास जी, जिनको सतनामी समाज के सब लोग गुरू मानते हैं, उनके भी परिवार के लोग असम तक जाकर अपने पेट भरने के लिए काम करने जाते थे। मिनीमाता भी इन्हीं की शिकार हुई हैं। यह हमारा सदियों का है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने मनरेगा जैसे रोजगार सृजन का कार्यक्रम स्वीकृत किया था। अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी इस व्यथा को नहीं सुनेंगे तो आने वाले दिनों में व्यथा का व्यथा ही रहेगा। हम चाहते हैं कि आप इस स्थगन को ग्रहण करें और इस पर चर्चा स्वीकार करें। ताकि हमारे जो सब साथी हैं, वह अपनी-अपनी बातों को बता सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा स्थगन स्वीकार कर लें और चर्चा कराएं।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी के बोलने के बाद या भावना के प्रकटीकरण या विषय के प्रस्तुतिकरण के बाद बोलने के लिए और क्या रह जाता है? उसके बाद तो आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- ओखरे पीछे तोहरे कानून हे। ओला महाज्ञानी कथे।

श्री अजय चंद्राकर :- ते गरीब घर के लइका हस।

श्री दवारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए।

श्री रामकुमार यादव :- जब तक अध्यक्ष जी हर ओला स्वीकारही नहीं, तब तक मैं बोलत रहूं। अध्यक्ष जी, मैं 5 बार अऊ खड़े होहूं। अभी आप बइठो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय रामकुमार यादव जी, मैं तो अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, जइसे ही बरसात खतम होथे अऊ तरिया-नरवा हा सुखाथे तो तरिया-नरवा में रोजगार गारंटी के काम करबो करके गांव के गरीब आदमी मन ओला झाकत-ताकत रथे। जइसे ही बरसात खतम होथे तो ओमन तरिया-नरवा में जाके रोजगार गारंटी में काम करथे। लेकिन जब ले एमन के सरकार बने हे, तब ले न ओ तरिया-नदिया में ध्यान हे अऊ न कोई मजदूर में ध्यान हे, बल्कि आप अऊ हम सब गांव में देखे हन कि जइसे कोई गरीब आदमी हा काम करथे तो ओखर पसीना हा सूखना नहीं चाहिए अऊ ओला ओखर मजदूरी मिल जाना चाहिए। लेकिन ए मन 3 महीना ले

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कुंभकरण के नींद सोए हे। एमन ला गरीब के कोई ध्यान नहीं हे। एखर लिये चर्चा कराना चाहिए। मैं एमन ले पूछना चाहत हो कि अगर एमन गरीब के चर्चा नहीं करही, आदिवासी समाज के चर्चा नहीं करही तो काखर बर चर्चा करही?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप कुछ वक्तव्य देंगे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, एक मिनट।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में भी गरीब से शुरूआत हुई है। गरीब के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है, उसमें मात्र 32 दिन का मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब लोग आर्थिक तंगी में यहां से पलायन कर रहे हैं। आगामी लोक सभा चुनाव है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश और पूरे विश्व को गरीब या अमीर या देश के प्रधानमंत्री को भी एक मत देने का सबसे बड़ा अधिकार दिया है। यदि गरीबों का पलायन नहीं रोका गया और उनको मजदूरी नहीं दी गई तो वह लोक सभा चुनाव में मतदान से भी वंचित होंगे। वह केवल रोजगार से नहीं, बल्कि लोक सभा चुनाव में अपना मत डालने से भी वंचित रहेंगे। लोक सभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मत डाले और गरीबों को रोजगार मिले। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव में गरीबों के लिए चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप समाप्त कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित और भयभीत हैं। रोजगार गांरटी का कानून इस राज्य के लिए व्यर्थ साबित हो रहा है। भा.ज.पा. सरकार के मंत्रिगण मोदी की गारंटी-मोदी की गारंटी बोलते हुए थक नहीं रहे हैं। इसपर हमारे पक्ष ने स्थगन लाया है, इस पर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। कुंवर सिंह निषाद जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिन पूर्व गुण्डरदेही में धमतरी चौक के पास एक भूसा गाड़ी की चपेट में आने से कॉलेज पढ़ने वाले 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- यह एक बार हो गया है। आप भूसा में कहां आ गये? अभी कौन सा स्थगन चल रहा है और आप भूसा में आ गये हैं। चलिये।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक कुल 600 करोड़ रूपये की मजदूरी देना बाकी है। छत्तीसगढ़ में मजदूर पलायन क्यों करते हैं? मजदूरी नहीं मिलना, काम नहीं मिलना, ये सब छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए चिंता का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोगों ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, उसपर सारे कार्यों को रोककर चर्चा कराई जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पंजीकृत परिवारों की संख्या लगभग 38 लाख, 25 हजार, 309 हैं। जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कानूनी दायरे में आकर अपने लिए रोजगार की उम्मीद करते हैं। जिस तरीके से पूर्व के वक्ताओं ने भी इस विषय को उठाया है और इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करनी आवश्यक है। यह बहुत गंभीर विषय है। लोग लगातार परेशान हैं। यदि हमारे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ से पलायन करेंगे और उनको रोजी-रोटी का मौका यहां पर नहीं मिलेगा तो कहां पर मिलेगा? इसपर सरकार और इस सदन को चर्चा करनी चाहिए।

समय :
12.29 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 31 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	डॉ. चरणदास महंत
दूसरी सूचना	-	श्री उमेश पटेल
तीसरी सूचना	-	श्री बघेल लखेश्वर
चौथी सूचना	-	श्री कवासी लखमा
पांचवीं सूचना	-	श्री विक्रम मण्डावी
छठवीं सूचना	-	श्री द्वारिकाधीश यादव
सातवीं सूचना	-	श्री कुंवर सिंह निषाद
आठवीं सूचना	-	श्री लालजीत सिंह राठिया
नवमीं सूचना	-	श्री रामकुमार यादव
दसवीं सूचना	-	श्री भोलाराम साहू
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री दिलीप लहरिया
बारहवीं सूचना	-	श्रीमती अनिला भेंडिया
तेरहवीं सूचना	-	श्रीमती संगीता सिन्हा
चौदहवीं सूचना	-	श्रीमती अंबिका मरकाम
पंद्रहवीं सूचना	-	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सोलहवीं सूचना - श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े

सत्रहवीं सूचना - श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

अट्ठारहवीं सूचना - श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

उन्नीसवीं सूचना - श्री अटल श्रीवास्तव

अट्ठारवीं सूचना - श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

उन्नीसवीं सूचना - श्री अटल श्रीवास्तव

बीसवीं सूचना - श्री ब्यास कश्यप

इक्कीसवीं सूचना - श्री इन्द्रशाह मण्डावी

बाईसवीं सूचना - श्री जनक ध्रुव

तेईसवीं सूचना - श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

चौबीसवीं सूचना - श्री इंद्र साव

पच्चीसवीं सूचना - श्री संदीप साहू

छब्बीसवीं सूचना - श्रीमती शेषराज हरवंश

सत्ताईसवीं सूचना - श्री फूलसिंह राठिया

अट्ठाईसवीं सूचना - श्री ओंकार साहू

उन्तीसवीं सूचना - श्री बालेश्वर साहू

तीसवीं सूचना - श्रीमती चातुरी नंद

इकतीसवीं सूचना - श्रीमती कविता प्राण लहरे

चूंकि डॉ. चरण दास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं :-

राज्य में लाखों ग्रामीण रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हैं । छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में खरीफ की फसल आने के पश्चात् रोजगार का कोई अन्य साधन मानूसन के आने तक उपलब्ध नहीं होता है, जिससे रोजगार के अभाव में भूखों मरने की स्थिति निर्मित होती जा रही है । राज्य में पंजीकृत परिवारों की संख्या 38,25,309 है । पूर्व समय का 600 करोड़ रूपयों से अधिक का मजदूरी भुगतान शेष है । अक्टूबर, 2023 के पश्चात् महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूर्व में किए गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान भी बंद है क्योंकि केन्द्र से इसके लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है । इतने गंभीर मामले में विधान सभा के पटल पर सरकार के द्वारा सही स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । पूरे छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित एवं भयभीत हैं । रोजगार गारंटी का कानून इस राज्य के लिए व्यर्थ हो गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है । ग्रामीणों के जीवन-यापन के लिए मुफ्त का चॉवल पर्याप्त नहीं है, अन्य जरूरतों के लिए नगद रकम चाहिए ।

इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिवस के रोजगार की कानूनी गारंटी है। वर्ष 2023-24 में 27 फरवरी, 2024 की स्थिति में मात्र 2,27,504 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा सका, अर्थात् 11,11,605 परिवार 100 दिवस के रोजगार से वंचित रहे, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा गारंटी को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन ही नहीं किया गया । यह हमारे राज्य के गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । पत्नी और बचचों को पेट भरने की चिंता से ग्रस्त परिवार का मुखिया करे तो करे क्या, किसके पास जाए, किसके सामने हाथ फैलाए । इसलिए उसके सामने परिवार सहित पलायन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

अत: सदन की कार्यवाही रोककर इस गंभीर विषय पर चर्चा कराई जाये ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राज्य के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । जरूरतमंद परिवार के रोजगार मूलक मांग अनुरूप निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया गया है । इसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 7 करोड़ के लक्ष्य को संशोधित करते हुए 10 करोड़ किया गया तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी मांग के अनुरूप मानव दिवस के सृजन के लिए लक्ष्य को बदलने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है । आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को 9,34,000 मजदूर नियोजित हैं । अभी तक 2331 करोड़ रूपए का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है । वर्तमान में 42,638 कार्य संचालित हैं, जिसमें 9,34,000 मजदूरों को रोजगार प्राप्त हुआ है । इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । पिछले वित्तीय वर्ष में दिनांक 28 फरवरी, 2023 अर्थात् आज के दिन ही 1.69 लाख परिवारों को 100 दिवसीय रोजगार उपलब्ध कराया गया था । विधान सभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के बाद भी इस वर्ष 2.32 लाख परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो गया है । यह आंकड़े समय बीतते तेजी से वृद्धि होती है क्योंकि वित्तीय वर्ष में ही 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है । भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2024 को 128 करोड़ सामग्री मद में आवंटन जारी किया गया है । शीघ्र ही राज्यांश सहित 171.44 करोड़ रूपए लंबित सामग्री राशि के भुगतान हेतु जारी किया जावेगा । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान की राशि 580.77 करोड़ स्वीकृत किया गया है । उक्त स्वीकृत राशि राज्य के नोडल खाते में प्राप्त होते ही लंबित मजदूरी भुगतान को पूरा किया जावेगा । योजना का विश्वास ही है कि प्रतिदिन औसत 9.5 से 10 लाख मजदूर योजनांतर्गत नियोजित हो रहे हैं । इतनी व्यापक संख्या में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने से ग्रामीण परिवार के पलायन पर अंकुश लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रतिदिन औसत 9.50 से 10 लाख मजदूर योजना अन्तर्गत नियोजित हो रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि यहां 35 लाख 25 हजार 3 सौ कार्डधारी हैं। अब उसमें से 30 प्रतिशत भी नियोजित नहीं हो रहे हैं, 25 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल रहा है तो बाकी के लोग क्या करेंगे ? जो रोजगार मिल रहा है, मात्र 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन काम मिल रहा है। माननीय मंत्री जी का जवाब निश्चित रूप से गरीबों के हक में नहीं है। लोकसभा की जानकारी दे रहे हैं, अपनी राशि की जानकारी दे रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हम बहिर्गमन करते हैं।

समय
12.36 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(डा. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

समय
12.37 बजे

ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 106 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय केदार कश्यप, मंत्री वन की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश मूणत जी, अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सर, मेरा पाईंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मूणत जी ने जो कुछ अपने ध्यानाकर्षण सूचना में यहां प्रस्तुत किया है, वह सबज्यूडिश मामला है। हाईकोर्ट में इस मामलें की सुनवाई हो चुकी है और कल भी इस मामलें की सुनवाई है। तो क्या ऐसे मामलें विधानसभा में चर्चा में आ सकते हैं ? मेरा निवेदन है कि इस मामले को ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा ना कराई जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब ज्यूडिश है या नहीं है, क्या इसकी सूचना विधानसभा को प्राप्त है? उसके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण लाने वाले सदस्य हैं, वह भी आपको सूचना दे सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अवगत कराया है। चूंकि सब ज्यूडिश है, वह कह रहे हैं, ध्यानाकर्षण चर्चा हेतु लग चुका है तो उसके प्रमाण के बगैर उसको अधिकृत नहीं माना जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय कर लें। सब ज्यूडिश मामलें विधानसभा में आ सकते हैं या नहीं ? मेरे पास जानकारी है, मैं इसे पटल पर रखता हूं, आप इसे देख लीजिये, उसके बाद आप इस पर निर्णय लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

(1) रायपुर के शताब्दी नगर तेलीबांधा में स्थित सामुदायिक भवन पर नियम विरूद्ध कब्जा कर अनियमितता किया जाना ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- शताब्दी नगर तेलीबांधा, रायपुर स्थित सामुदायिक भवन पर राजश्री सद्भावना समिति ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय कर ले कि सब-ज्यूडिस मामले विधान सभा में आ सकते हैं कि नहीं ? मेरे पास यह जानकारी है। मैं इसे पटल पर रखता हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस पर निर्णय लीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- शताब्दी नगर तेलीबांधा, रायपुर स्थित सामुदायिक भवन पर राजश्री सद्भावना समिति ...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, पहले निर्णय आ जाये ।

श्री राजेश मूणत :- का नियम विरूद्ध कब्जा है । नगर पालिक निगम, रायपुर तथा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रायपुर द्वारा इस भवन में रंगरोगन, फर्नीचर तथा अन्य सुविधाओं पर तकरीबन एक करोड़ रूपये से भी अधिक की धनराशि व्यय की गई है । नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 द्वारा इस भवन में मॉड्युलर वुडन वार्ड रोब 13 नग, चार दरवाजे वाला वुडन वार्ड रोब 10 नगर, ड्रेसिंग टेबल 02 नग, डबल बेड विथ आऊट स्टोरेज 04 नग, सोफा सेट 06 सीटर 07 नग, लकड़ी की आलमारी 09 नग, किचन चिमनी 02 नग, कम्प्यूटर टेबल 04 नग, स्टील आलमारी 12 नग, सोनी टी.वी.(55 इंच 04 नग, पैंसठ इंच 3 नग, 75 इंच 01 नग) ओवन 32 लीटर 02 नग, वाशिंग मशीन 02 नग, मिक्सर ग्राईडर 02 नग, इंडक्शन 02 नग, फ्रीज 02 नग, वाटर कूलर 01 नग, आर.ओ.01 नग, वाटर हीटर 04 नग एवं कुचिना 02 नग लगाया गया है । महापौर परिषद् की 16 जून 2022 को आयोजित बैठक में इस संदर्भ में संकल्प क्र.33 के अंतर्गत भवन को राजश्री सद्भावना समिति को हस्तांतरित किये जाने पर मुहर लगाई गई । शासकीय धनराशि के नियम विरूद्ध उपयोग के जिम्मेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई न करने, सामुदायिक भवन का कब्जा नगर निगम द्वारा अपने पास न रखने एवं जन साधारण को इसका उपयोग न करने के कारण जनसाधारण में अत्यंत ही आक्रोश व्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है तो जी हां, यह सत्य है कि शताब्दी नगर तेलीबांधा स्थित ...।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक वरिष्ठ वकील हैं, एडव्होकेट रहे हैं, हाई कोर्ट में जाते थे, क्या सब-ज्यूडिस मामले आ सकते हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यह विषय अध्यक्ष महोदय के सामने रखा है, यह व्यवस्था देने की जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष महोदय की है ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उसने दिया था, सवाल पढ़ दिया । हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अरूण साव :- सदन की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी महोदय संचालित करते हैं...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.चरणदास महंत :- मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रश्न को देख लें । उसके बाद आप उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । कुछ देर इंतजार कर लीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में कोई मामला ही नहीं है। निगम ने भवन के ऊपर कब्जा कर लिया है । जब भवन के ऊपर निगम ने कब्जा कर लिया है, ताला लगा दिया है तो सब-ज्यूडिस मामला कहां बचा ?

अध्यक्ष महोदय :- ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, अत: आप जारी रखें ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है, अधिकारियों ने याचिका की प्रति दी है, लेकिन व्यवस्था का संचालन पीठासीन अधिकारी के नाते विधान सभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही किया जाता है ।

डॉ.चरणदास महंत :- ठीक है, अध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री जी तक यह जानकारी है कि याचिका पहुंच चुकी है, उसकी जानकारी इन तक है । मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अरूण साव :- जी हां, यह सत्य है कि शताब्दी नगर तेलीबाधां स्थित सामुदायिक भवन पर राजश्री सद्भावना समिति का कब्जा था, जिसे दिनांक 25.02.2024 को कब्जा मुक्त कर लिया गया है । हॉ, यह सत्य है कि नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा उक्त सामुदायिक भवन में रंगरोगन एवं अन्य सुविधाओं का कार्य कराया गया है । इस कार्य में रू. 84.86 लाख रूपये व्यय किया गया है । हॉ, यह भी सत्य है कि नगर पालिग निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 द्वारा इस भवन में मॉड्यूलर वुडन वार्ड रोब 13 नग, 04 दरवाजे वाला वुडन वार्ड रोब 10 नग, ड्रेसिंग टेबल 02 नग, डबल बैड विथ आऊट स्टोरेज 04 नग, सोफा सेट 06 सीटर 07 नग, लकड़ी की आलमारी 09 नग, किचन चिमनी 02 नग, कम्प्यूटर टेबल 04 नग, स्टील आलमारी 12 नग, सोनी टी.वी. (55 इंच 04 नग, पैंसठ इंच 03 नग, 75 इंच 01 नग), ओवन 32 लीटर 02 नग, वाशिंग मशीन 02 नग, मिक्सर ग्राइंडर 02 नग, इंडक्शन 02 नग, फ्रीज 02 नग, वाटर कूलर 01 नग, आर.ओ. 01 नग, वाटर हीटर 04 नग एवं कुचिना 02 नग लगाया गया है। हां, यह भी सत्य है कि मेयर-इन-कौंसिल के संकल्प कमांक 33, दिनांक 16.06.2022 द्वारा अध्यक्ष राजश्री सद्भावना समिति को हस्तांतरित किये जाने हेतु संकल्प पारित किया गया है। शासकीय धनराशि की सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की गई है एवं वर्तमान में नगर पालिक निगम द्वारा सामुदायिक भवन को कब्जा मुक्त कर आधिपत्य में ले लिया गया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह सामुदायिक भवन कितने वर्ग फीट में बना ? उसका estimate कितने का था और जब उसके निर्माण का टी.एस. दिया गया तो किन-किन चीजों का प्रावधान था ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बताया है कि कब्जा मुक्त कराकर।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, नहीं। यह कब्जा मुक्त कराने का विषय नहीं है। इसमें असली चीज अलग है, इसमें पूरी कहानी है। कहानी यह है कि।

अध्यक्ष महोदय :- कहानी संक्षिप्त में हो।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा। यह इतना बड़ा राज्य है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कह रहे हैं, आप भी सुनें। यह अपने आप में इस प्रदेश का अनोखा केस है। वहां पर गरीब परिवार के अटल आवास बने हुए हैं, आपने उसको जर्जर घोषित कर दिया और उनको ले जाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया और उनकी जगह आप सामुदायिक भवन बना रहे हैं। आप कितने वर्ग फीट में सामुदायिक भवन बना रहे हैं ? यह तो आज पहली बार प्रदेश में सोचने को मिला कि सामुदायिक भवन बनाने के लिये गरीब परिवारों के अटल आवास को जर्जर घोषित कर दिया गया। रायपुर में हजारों की संख्या में गरीब परिवार हैं। क्या हम सबको शिफ्ट कर देंगे ? इसमें प्रश्न यह है कि कुल estimate कितने का था ? उसमें नियमत: क्या-क्या प्रावधान थे ? इसमें कितने टेंडर हुए ? मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बाद में अवसर मिलेगा।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन के रंग-रोगन सुविधा के लिये कुल मिलाकर 84.89 लाख रूपये खर्च हुए हैं। भवन के निर्माण में कुल मिलाकर 01.74 करोड़ रूपये की राशि खर्च हुई है, जिसमें से स्मार्ट सिटी से 84.03 लाख रूपये, अधोसंरचना से 71.69 लाख रूपये और निगम मद से 18.28 लाख रूपये और इसी तरह से गार्डन के लिये 44.88 लाख रूपये का खर्च हुआ है। इस सामुदायिक भवन में कुल मिलाकर 03 करोड़ 03 लाख 77 हजार रूपये का खर्च हुआ है। इस जमीन का एरिया 4000 वर्गफीट है। यह भी सही है कि वह केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सिमिति की कॉलोनी है। जहां पर अटल आवास बना था, वह जगह ई.डब्ल्यू.एस. के लिये आरक्षित थी और उस स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, बात वहीं की वहीं है। मैंने पूछा कि इसमें estimate कितने का था और आपने इसका खर्चा बता दिया। जब पहली बार किसी भी जगह पर कोई भवन बनाते हैं तो उसका एक estimate प्रस्तावित होता है कि 4000 वर्गफीट में इतने-इतने रूपये की लागत लगेगी। उसका टी.एस. होता है। उसमें सीनियर Executive Engineer स्तर का अधिकारी टी.एस. देता है, जिसकी स्वीकृति दी जाती है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि यदि आपने 4000 वर्गफीट में सामुदायिक भवन बनाया, तो यह जो जमीन थी वह सोसायटी की जमीन थी। उसमें उन्होंने जो 15 प्रतिशत आरक्षण के रूप में जगह छोड़ी थी, जहां अटल आवास बने थे, वहां उन्होंने गरीब परिवारों को उजाड़ कर, उनको वहां व्यवस्थापन

देकर, अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके भवन का निर्माण किया और यह केवल इतना बता दें कि उस भवन की लागत कितनी थी ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बता दिया।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, वह नहीं बताये हैं। मैं आपके माध्यम से केवल यही तो पूछ रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मूणत जी मामले को घुमा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी बोला है कि प्रक्रिया के तहत उसकी स्वीकृति हुई है। जब सही स्वीकृति हुई है तो आप प्राक्कलन और टी.एस. में कहां जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। यह आपका विषय नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वीकृति को सही बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये, मंत्री जी ने जवाब तो बता दिया है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा स्पष्ट मत है। इसमें आपने जो खर्चा किया, वह बता दिया।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इतनी चर्चा हो रही है तो सदन यह भी जानना चाहता है कि इसमें किसका कब्जा था ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सब प्रक्रिया के तहत हुआ है कहाथे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके, माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल एक ही प्रश्न किया है कि क्या आपने टी.एस. दिया, Executive इंजीनियर ने टी.एस. दिया । उस सामुदायिक भवन में 4000 स्क्वायर फीट के ऊपर किन-किन चीजों का प्रावधान था? आपने उसकी स्वीकृति दी। आपने कहा कि इस पर अलग-अलग मद में, अलग-अलग लोगों ने खर्च किया। मैं तो केवल इतना ही पूछ रहा हूँ कि जब उस दिन पहली प्रशासकीय स्वीकृति दी, वह कितने की थी? आपने टी.एस. दिया तो बिना टी.एस. के किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता। आपको सब जानकारी है। मैं केवल यह बता पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- उसका कोई प्राक्कलन बना था क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया कि सामुदायिक भवन के निर्माण में 1 करोड़ 74 लाख रूपये का खर्च हुआ है

श्री अजय चन्द्राकर :- यह सब जोड़कर है ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात वही है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सामुदायिक भवन के निर्माण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 84 लाख 3 हजार रूपये लगा है। अधोसंरचना मद से 71 लाख 69 हजार रूपये खर्च हुआ है और निगम मद से 18 लाख 28 हजार रूपये खर्च हुआ है। इस तरह से उस सामुदायिक भवन के निर्माण में 1 लाख 74 लाख रूपये का कुल मिलाकर खर्च हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- इस पर 1 करोड़ 74 लाख रूपये का कुल मिलाकर खर्च हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 3 करोड़ रूपये समथिंग खर्च हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। इस पर 1 करोड़ 74 लाख रूपये का कुल मिलाकर खर्च हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर 1 करोड़ 74 लाख रूपये का खर्च हुआ है। उसके बाद में फर्नीचर पर खर्च हुआ है। आप पहले इसे पढ़ लीजिए। पहले आप आराम से सुनिए। उस सामुदायिक भवन में फर्नीचर से लेकर इन सब के ऊपर 3 करोड़ रूपये समथिंग खर्च हुआ। आपने यह कहा। मैंने केवल इतना ही पूछा है। किसी भवन का प्राक्कलन चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे आर.ई.एस. हो, चाहे कोई भी हो। जो estimate सबमिट करता है उसका टी.एस. होता है कि इतने स्क्वायर फीट में इतने-इतने का भवन बनेगा। इसमें इन-इन चीजों का प्रावधान है। अगर उसमें नॉन एस.ओ.आर. आयटम भी हो तो उसमें नॉन एस.ओ.आर. आयटम का प्रस्ताव दिया जाता है। इसमें बिना प्रस्ताव के इतना बड़ा सामुदायिक भवन बन गया। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। वर्ष 2020 में यह सामुदायिक भवन बना। वर्ष 2022 में इसके लिए आवेदन आया।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूँ कि जब वर्ष 2020 में यह सामुदायिक भवन बन गया। वर्ष 2022 में इसके लिए आवेदन आया। यह आवेदन कहां से आया ? नगरीय प्रशासन विभाग ऊपर से भेजता है रायपुर के शताब्दी नगर तेलीबांधा में निर्मित सामुदायिक भवन के संचालन का स्थानांतरण हेतु आज्ञा प्रदान की जाये। एक लाईन का एम.आई.सी. से प्रस्ताव आया, इसके लिए एम.आई.सी. कोई प्राधिकृत नहीं है। सामान्य सभा में लाकर, उसका प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। उसके बाद में आप उसे लेंगे। फिर उसके बाद में आपने उनको सामुदायिक भवन दे दिया। आपने किसी सामुदायिक भवन को दे दिया तो क्या 1 करोड़ रूपये का फर्नीचर सप्लाई कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने किसी समिति को सामुदायिक भवन दे दिया ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर ही नहीं रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने एक लाईन के उत्तर में कहा। इसमें मेरे तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप यह बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- आप एक-एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.आई.सी. के द्वारा जो संकल्प पारित किया गया। दिनांक 16.06.2022 को संकल्प क्रमांक 33 के अनुपालन में आयुक्त की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ है। इसमें एम.आई.सी. ने हस्तांतरण का संकल्प पास किया। उसके अनुपालन में कोई आदेश आयुक्त के द्वारा नहीं हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी आप कह रहे हैं कि एम.आई.सी. ने संकल्प पारित किया और आयुक्त द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, सामुदायिक भवन में कब्जा हो गया। और वहां करोड़ों रूपये का फर्नीचर खरीदकर लगा दिया। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें चाहते क्या हैं ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने यह काम किया, जिनके संरक्षण में यह काम हुआ, उसने सामुदायिक भवन में कब्जा तो किया तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।...

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये। आप इसमें कहां से आ गये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए तो आप प्रश्न कर रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि वह जमीन संबंधित समिति की है। जिसकी जमीन है उसमें तो कब्जा रहेगा। बल्कि उस समिति के साथ अन्याय किया गया । निगम के द्वारा उनको नियम विरूद्ध खाली कराया गया फिर ...।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब मंत्री जी देंगे, आप नहीं देंगे। आप जवाब नहीं दे सकते।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए, आप आप जवाब देंगे। रायपुर नगर निगम में 200 सामुदायिक भवन को समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। केवल और केवल इसी में क्यों कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- क्योंकि सतनामी समाज के नाम से है। .. (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। .. (व्यवधान) आप लोगों ने बदले की भावना से कार्रवाई किये हैं। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, लोग बैठिये। .. (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह सतनामी समाज के नाम से है, इसलिए यह बदले की भावना से काम किया जा रहा है। .. (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- पहले जवाब आ जाये।.. (व्यवधान) यादव जी, आप बैठिये। .. (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है।.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- यह जो अंधेर नगरी चौपट राजा का काम हुआ है, उसको जनता के बीच में आने दीजिए। उसको मत दबाईये।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। मंत्री जी का जवाब आने दीजिए। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, वह क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वह बता देंगे।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी की सरकार है। सरकारी संपत्ति की रक्षा, सुरक्षा करना यह पूरी तरह से सरकार की जवाबदारी है। माननीय उच्च न्यायालय में जैसे याचिका प्रस्तुत हुई है, माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश का सम्मान करते हुए, अध्यादीन रहते हुए इस मामले की मैं उच्च स्तरीय जांच की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री विक्रम मंडावी :- अब जो जांच क घोषणा हो चुकी है, उसके बात क्या बचता है ? जांच की घोषणा हो गई उसके बाद भी और कोई जांच करनी है।

श्री राजेश मूणत :- आप परेशान क्यों हो रहे हो भाई ?

अध्यक्ष महोदय :- जांच की घोषणा तो कर दी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें खाली एक इतना सा निवेदन है कि क्या स्मार्ट सिटी फर्नीचर खरीदी करने का प्रावधान स्मार्ट सिटी में है ? यह स्पष्ट कर दें, खाली इतना सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब दे देंगे, पहले आपका भी प्रश्न आ जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कब्जा जितनी अवधि में था, आप एम.आई.सी. के प्रस्ताव का उदाहरण दे रहे थे। वह उचित है या अनुचित है, बिना कमिश्नर के आदेश के किसी को कब्जा देना। और यदि एम.आई.सी. के प्रस्ताव के बाद कब्जा देना उचित है तो आपने उसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाली क्यों करवाया ? यदि खाली करवाया तो उस कब्जा की अवधि का किराया वसूलेंगे या उसका क्या करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी जानकारी है कि जनवरी में ही इस भवन का कब्जा समिति ने लिया है और जब जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आयेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच की अवधि बताईये कि कितने दिन में, कितने महीने में पूरी होगी। यदि हम उस समय के तत्कालीन जिन लोगों ने ऐसा अवैध निर्माण करके, अवैध जगह में कब्जा कर रखा है, क्या उनको भी इस जांच में शामिल करेंगे ? आज के पेपर में भी एक कब्जा छपा है, क्या उसको भी आप शामिल करेंगे ?

श्री अरूण साव :- देखिये, यह विषय शताब्दी नगर तेलीबांधा के सामुदायिक भवन से संबंधित है और उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषी पाये पर होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जांच की अवधि बता दीजिए न। 3 महीने, 6 महीने, कितने दिन में जांच पूरी होगी ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं घोषणा करता हूं कि 3 महीने के अंदर जांच की कार्रवाई पूरी होगी। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब क्या बचा है ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खाली यह कहना है। आपने जो कह दिया, उससे संतुष्ट हूं। आपने अच्छा निर्णय दिया। मैने एक प्रश्न पूछा कि केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा भेजा, उसी के अंदर जो स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ और जो उसके नार्म्स का दुरूपयोग किया, क्या उसको भी प्राथमिकता से लेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्नीचर खरीदी में स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग नहीं हुआ है। भवन के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी के मद में से 84 लाख 03 हजार रूपये का उपयोग हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अटल श्रीवासतव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल लीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है तो वह सदन का समय क्यों ले रहे हैं? आप जितनी बिंदु में जांच कराना चाहते हैं, वह आप लिखकर दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- सही बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मामा, आपको भाचा का श्राम मिल जायेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको जितनी बिंदु में जांच करवाना है, आप लिख कर दे दीजिये न।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अध्यक्ष महोदय, आरंग में भी इसी प्रकार से सद्भावना भवन बना हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- आरंग में भी ऐसा ही कब्जा है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आरंग में भी कब्जा है, क्या उसको भी खाली करवायेंगे?

श्री राजेश मूणत :- पूर्व मंत्री ने ..(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको जांच से मतलब नहीं है। केवल और कवेल बदनाम करना है। बस।

श्री राजेश मूणत :- मैं सरकार से और उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने भी सरकार के ..(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप जांच नहीं चाहते हैं। मंत्री जी ने जांच की घोषणा कर दी है, उसके बाद भी वह सवाल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- कोर्ट से निर्णय नहीं है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अध्यक्ष महोदय, आरंग में भी इसी प्रकार से सद्भावना भवन बना हुआ है, उसको भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको भी जांच में लाया जाये।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन यहां सिर्फ बदला के राजनीति करे बर आय हौ।

समय :
1:01 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- बैठिये न।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है। यह लोकहित का विषय है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिये।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय, आरंग नगर पालिका में भी इसी प्रकार का भवन बना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, जिन लोगों ने कब्जा करके रखा है, उसको भी इस जांच में शामिल करेंगे क्या? हम उसका प्रमाण देंगे।

सभापति महोदय :- इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। अब आप लोग बैठ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, हम उसका प्रमाण देंगे तो उसको भी इस जांच में शामिल करेंगे क्या?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- अब इसमें कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री राजेश मूणत :- सर, मेरा एक निवेदन है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापतिम महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, इस रायपुर शहर के अंदर एम.एल.ए. रेस्ट हाऊस के ऊपर जो लोग रहते हैं। कई पुराने लोगों को वहां जगह मिली। घास जमीन पर 40,000 ft^2 जगह पर 10,000 ft^2 का ऑलरेडी एक ऐसा ही भवन बना हुआ है। मैं सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं।

सभापतिम महोदय :- देखिये, इस विषय का इस ध्यानाकर्षण से कोई संबंध नहीं है। उसके लिए आप कुछ अलग से प्रक्रिया करिये।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- गुरू जी, बैठिये न।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय, आरंग में भी इसी प्रकार से सद्भावना नाम से भवन बना हुआ है। उसको भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय :- गुरू जी, कोई जगदलपुर की बात करेगा, कोई अम्बिकापुर की बात करेगा, इससे क्या लेना-देना है। आप बैठिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज के बिन्दु को शामिल कर लीजिये।

सभापति महोदय :- आज के श्री धरम लाल कौशिक जी के ध्यानाकर्षण में उनकी जगह में श्री अजय चन्द्राकर जी की अधिकृत किया गया है। अजय चन्द्राकर जी, धरम लाल कौशिक जी के ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े और उसमें आगे बढ़े।

(2) बालको संयंत्र में नियमों का उल्लंघन किया जाना

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बाल्को संयंत्र के द्वारा औद्योगिक सुरक्षा, श्रम व पर्यावरण नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरबा क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या लगातार बढ़ रही है। इसी सत्र के विधान सभा में विभाग द्वारा बताया गया है कि बाल्को संयंत्र, कोरबा में वर्ष 2022 से नवम्बर, 2023 तक 52 लाख मीट्रिक टन से अधिक फ्लाई ऐश का उत्सर्जन किया गया तथा मात्र 10 लाख मीट्रिक टन का निष्पादन किया गया है जबकि बाल्को द्वारा निष्पादन हेतु जिन स्थानों की स्वीकृति दी गई है, वहां पर मात्र 19.75 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का निष्पादन हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में संयंत्र द्वारा लगभग 36 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का निष्पादन नहीं किया गया। माननीय एन.जी.टी. के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्देशानुसार फ्लाई ऐश का 01 वर्ष में जो उत्सर्जन होता है, उसका 80 प्रतिशत निष्पादन करना आवश्यक है अन्यथा प्रति मीट्रिक टन 1000 रुपये प्रतिवर्ष अर्थदण्ड लिया जाना प्रावधानित है। यदि सही जाँच की जाए तो कई करोड़ों का अर्थदण्ड संधारित किया जा सकता है। पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त 22 माह में मात्र सितम्बर, 2023 में ही 02 दिवस के अंदर 04 स्थानों पर निरीक्षण किया गया व 04 स्थानों में अनियमितता के कारण अर्थदण्ड लगाया गया। इससे स्पष्ट है कि यदि माह में बार-बार निरीक्षण होता तो करोडों रूपये का अर्थदण्ड तो लगता ही, साथ ही कोरबा के निवासियों को भी स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जो फलाई ऐश का निष्पादन किया गया है, वह निर्धारित स्थान में नहीं डालकर कोरबा व आस-पास के जिलों में यत्र-तत्र डाल दिया गया है, जो कि माननीय एन.जी.टी. के निर्देशों का घोर उल्लंघन है तथा ट्रांसपोर्टर को भी अधिक लीड की राशि का करोडों रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। औद्योगिक सुरक्षा, श्रम व पर्यावरण नियमों का पालन न करने व ट्रांसपोर्टिंग में भारी भ्रष्टाचार के कारण आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि कोरबा स्थित बाल्को संयंत्र द्वारा पर्यावरण के नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है । कोरबा स्थित बाल्को संयंत्र में 540 मेगावाट एवं 1200 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं । इस संयंत्रों से जनवरी 2022 से नवंबर 2023 के मध्य लगभग 52.5 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश उत्पन्न हुआ है । उक्त अवधि में उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश ब्रिक निर्माण हेतु लगभग 1.84 लाख मीट्रिक टन, भू-भराव हेतु 60.32 लाख मीट्रिक टन, खदान में भराव हेतु 4.56 लाख मीट्रिक टन, सड़क निर्माण में 13.97 लाख मीट्रिक टन व अन्य उपयोग में 2.84 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है । उद्योग द्वारा जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक की अवधि में राखड़ बांध में संग्रहित राखड़ का भी उपयोग करते हुये कुल लगभग 83.5 लाख मीट्रिक टन का उपयोग किया गया है । अत: यह कहना सही नहीं है कि मात्र 10 लाख मीट्रिक टन राखड़ का निष्पादन किया गया है एवं यह कहना भी सही नहीं है कि संयंत्र द्वारा उक्त अवधि में 36 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का निष्पादन नहीं किया गया है । यह भी सही नहीं है कि फ्लाई ऐश निष्पादन हेतु उद्योग को जिन स्थानों पर स्वीकृति दी गई है, वहां पर मात्र 19.75 लाख मीट्रिक टन का ही निष्पादन हो सकता है । वस्तुत: विधानसभा के इसी सत्र के तारांकित प्रश्न क्रमांक 399 के उत्तर में प्रश्नाधीन अवधि में दी गई अनुमतियों एवं उनमें प्रश्नाधीन अवधि में किये गये निष्पादन की जानकारी दी गई है। उक्त अवधि के पूर्व एवं पश्चात् जारी अनुमतियों के परिप्रेक्ष्य में बाल्को संयंत्र को भू-भराव हेतु कुल 83.71 लाख मीट्रिक टन हेतु अनुमति प्राप्त है । फ्लाई ऐश उपयोग संबंधी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत् उद्योग द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पन्न राखड़ की मात्रा का उपयोग किये जाने के कारण पर्यावरणीय प्रतिकर लगाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनुमति प्राप्त स्थलों का 04 बार एवं

उद्योग का 20 बार निरीक्षण प्रश्नांकित अवधि में किया गया है । उद्योग के विरूद्ध बिना अनुमति प्राप्त स्थल पर डम्पिंग बाबत् कुल 14.50 लाख रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है । औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा श्रम नियमों का पालन किया जा रहा है अत: आम जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि जनवरी 2022 से नवंबर 2023 के मध्य लगभग 52.5 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश उत्पन्न हुआ है । आपने जितना निष्पादन किया है उसको जोड़कर आपने उत्तर में बताया है कि 43.5 लाख मीट्रिक टन का उपयोग किया गया है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- 83 लाख ।

श्री अजय चंद्राकर :- 83 लाख, वही तो । माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूं कि जब 52.5 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उत्पादन हुआ तो 83.5 लाख मीट्रिक टन का निष्पादन कैसे हुआ ? आप पहले यह बता दीजिये कि क्या बाकी को आयातित किया गया ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो राखड़ उत्पादन होता है उसका अलग-अलग तरह से निष्पादन किया जाता है और जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक इंगित किया है कि 83 लाख 50,000 मीट्रिक टन का निष्पादन हुआ और 52 लाख 50,000 टन के लगभग का उत्पादन हुआ था तो वहां पर जो लिगेसी राखड़ है । पहले से जो ऐश डाइक में पड़ा हुआ राखड़ है उसका भी अतिरिक्त निष्पादन किया गया है इसीलिये वह मात्रा अधिक है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने उत्तर में स्वीकार किया कि पहले का भी राखड़ पड़ा हुआ था । 83 लाख मीट्रिक टन में 52 को घटा दें तो लगभग 31 लाख टन का निष्पादन समय में नहीं हुआ था, यह उत्तर से साबित है तो 31 लाख टन पहले का निष्पादन नहीं हुआ था तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? एन.जी.टी. के नियम क्या हैं ? कितने दिन में उसको जांच करनी चाहिए और जुर्माना के नियम क्या हैं और 31 लाख टन पर आपने कितना जुर्माना लिया है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मिनिस्ट्री और एन.जी.टी. के द्वारा जो एस.ओ.पी. जारी हुई है । उससे पहले का यह राखड़ है जिस पर जो वर्तमान के एस.ओ.पी. और वर्तमान के नियम हैं उस पर सीधे लागू नहीं होते हैं । अभी यह है कि जितना उत्पादन होता है उससे अधिक निष्पादन होना चाहिए, यह रूल है और जो लीगेसी राखड़ पड़ा हुआ है, पहले का जब वह रूल लागू नहीं थे तब के जो राखड़ हैं उसका भी अतिरिक्त निष्पादन क्रमिक रूप से किया जा रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह पूछा है कि इसके निष्पादन के संबंध में एन.जी.टी. के नियम क्या हैं ? समयबद्ध निष्पादन नहीं हुआ। पहले तो एन.जी.टी. के नियम क्या हैं और साल में कितनी बार उसका निरीक्षण करना चाहिए? क्या उतना निरीक्षण हुआ है? और यदि

निष्पादन नहीं हुआ है तो कितना पैसा जुर्माना जो पुराने हैं, उसमें वसूले गये थे या नहीं वसूले गये थे? यदि लागू नहीं होता तो वह बता दीजिए कि उसमें जुर्माना और निरीक्षण लागू नहीं होता।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जो मिनिस्ट्री के एस.ओ.पी. हैं, जो जारी हुए हैं, उसकी प्रति अभी मेरे पास है। मैं सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा और जो ऐश डाइक पर पहले के राखड़ पड़े हुए हैं, उसको मिनिस्ट्री के द्वारा जो नोटिफाई किया गया तो नोटिफाई के बाद वर्ष 2022 से इसकी अवधि की गणना की गई है और 10 साल के भीतर इसे निष्पादित करने का प्रावधान रखा गया है।

सभापति महोदय :- ठीक है। चन्द्राकर जी। आप आखिरी पूछ रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। आप अच्छा उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं, वह भी विद्वान मंत्री को मालूम है। मैंने कहा कि एन.जी.टी. के क्या निर्देश हैं?

सभापति महोदय :- वे बोले न कि वे दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके तहत जुर्माना कितना वसूला गया है? उस निर्देश के तहत कितनी बार निरीक्षण किया गया और कितना जुर्माना वसूली गया? सबसे पहली बात तो यह जानना है कि पिछली बार माननीय मंत्री जी ने यह सुझाव दिया था कि हमारे पास वो अमला, वो व्यवस्था नहीं है कि हम नियमित निरीक्षण कर सकें। नियमित निरीक्षण नहीं होने से उसका लाभ संबंधित संयंत्र उठाते हैं। आप मुझे निर्देश दे देंगे, वह ठीक है। बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन सदन में यह बात सारे सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि कितनी बार जांच करने के निर्देश हैं और उतने जांच होते हैं या नहीं होते हैं? उतने जांच में जो अनियमितताएं पायी गयीं तो उतनी वसूली होती है या नहीं होती है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी। एक बार में सारी बातें का जवाब दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति जी।

सभापति महोदय :- एक मिनट। उनके जवाब के बाद बोल दीजिएगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जो फाइन करने के नियम हैं वो 1 हजार रूपया प्रति टन और जो गलत डिस्पोज हुआ है, उसमें डेढ़ हजार रूपये प्रति टन का है और नियत समय-सीमा कि कितने-कितने दिन में इंसपेक्शन करना है, इसके लिए फिक्स समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उसके लिए फिक्स नियम नहीं है कि इतने दिन में करना ही है, लेकिन जितने जो टोटल इंसपेक्शन हुए हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि उस उक्त अवधि में चार बार इंसपेक्शन और 20 बार फैक्ट्री का इंसपेक्शन किया गया है।

सभापति महोदय :- वह आप जवाब में दे दिये हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी।

सभापति महोदय :- आपने जो बोला है, उनको एन.जी.टी. का दे दीजिएगा। बस हो गया और इसे खत्म करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस, एक आखिरी प्रश्न है। ठीक उत्तर आ रहा है। क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि कोरबा या रायगढ़ क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या है। एक। किसी भी वाहन में जी.पी.एस. नहीं है। जो निष्पादित करते हैं। जो होता है, वह फर्जी होता है कि 10 किलोमीटर में डाल दिये तो 20 किलोमीटर का किराया वसूल लिये। मानव स्वास्थ्य के लिए वह एक बड़ी समस्या है तो उसका निष्पादन समय में हो। जांच समय में हो। कंपनियां इसके लिए बाध्यकारी हों और जो निष्पादन के नियम हैं, वह प्रभावी ढंग से लागू हों, इसके लिए कोई सिस्टम आप विकसित करेंगे क्या? ताकि मानव जीवन की रक्षा हो सके। मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और इसमें हम reforms के लिए जो-जो जरूरी है, उसमें हम निश्चित रूप से पहल करेंगे और इस केस में भी माननीय सदस्य की जो भी चिंता है तो उसके मद्देनजर मैं विभागीय रूप से इस प्रकरण में जांच भी कराउंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- धन्यवाद, बढिया।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, रामकुमार की भी चिंता सुन लीजिए। उनको बोलने दीजिए। वे भी औद्योगिक क्षेत्र से हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वो तो गरीब मन के छत्तीसगढ़ की आवाज हैं।

सभापति महोदय :- वही बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- दाउ जी सुन लैवव। काबर टोकत हस।

सभापति महोदय :- दाउ जी से नहीं, मंत्री जी से पूछिए।

श्री रामकुमार यादव :- जी-जी। सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार यादव छत्तीसगढ़ के गरीबों की आवाज है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलना कि मैं गरीब घर के लइका हव करके।

श्री रामकुमार यादव :- मालगुजार बइठव, पइसा वाले मन बइठव।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठ जाइए। वो तो पूछ ही नहीं पायेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- आप ऐसे हमारे सम्माननीय साथी का मजाक नहीं उड़ा सकते।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन कतको कन गरीब मन ला विचलित करव, होने वाला नहीं हव।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है मनरेगा में बहिर्गमन किये थे। भिलाई नगर में कितने कार्ड हैं? आपकी विधान सभा मनरेगा में कितने कार्ड हैं?

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारी विधान सभा औद्योगिक विधान सभा है। आपके यहां कितने हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए आपको बहिर्गमन नहीं करना था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- देवेन्द्र यादव जी, बैठिए न।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप सत्तू भैया की जगह में आ गये हैं, तब से थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- बहिर्गमन इसलिए किये हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य हैं।

सभापति महोदय :- मैं पूछने का मौका दे रहा हूं, आप उनको पूछने नहीं दे रहे हैं, आप पूछ लीजिए ना ।

श्री रामकुमार यादव :- धन्यवाद् सभापति जी । ये जो राखड़ के समस्या, सबो के लिए समस्या हे । राखड़ हा जहर समान हे, जइसे कोई चंद्रपुर क्षेत्र मा गुजरथे, साहब भी हमर यहां कलेक्टर रह चुके हे, पड़ोसी जिला के रहने वाला हे । मैं आपसे कहना चाहत हौं जो चंद्रहासिनी मंदिर हे । उहां दूसर प्रदेश के मन दर्शन करे बर जाय रथे । जब रायगढ़ जिला के जीएसडब्ल्यू के राखड़ उहां ले गुजारथे तो आदमी मन मुंह ला नाक ला छपक के बइठ जाथे । एक तो रोड पहिली ले टूटा फूटा हे, हमर इहां के ढोए नइ सकत हन अउ रायगढ़ के ला भेजत हावव । आपसे निवेदन के जो रायगढ़ के जीएसडब्ल्यू के राखड़ मोर तरफ आवत हे ओला पाबंदी लगावव अउ आवत भी हे तो ओला रतिया में करव, दिन मान लोगन मन रेंगही । मैं आपसे निवेदन करत हौं अउ जवाब चाहत हौं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, इनका कुछ जवाब दे सकते हैं तो दे दें ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है । पिछले पांच वर्षों में उन्हीं की सरकार थी मुझे लगता है तत्समय उसकी चिंता नहीं की गई है लेकिन मैं निश्चित रूप से इसको दिखवाउंगा और उचित पहल करने का प्रयास करूंगा ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा औद्योगिक संस्थान स्थापित होता है तो राखड़ के डिस्पोज़ल या उसके भंडारण के लिए प्रति मेगावाट कितनी जमीन की आवश्यकता होती है ? मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 80 डिसमिल प्रति मेगावाट भंडारण के लिए चाहिए । छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो इस मानक को पूरा करता हो ।

सभापति महोदय :- चलिए, वह टेक्नीकल बात है ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, जो फ्लाईएश उत्पादित होता है उसका डिस्पोजल कई तरह से होता है । जैसे सीमेंट के उद्योग में उपयोग होता है, ईंट निर्माण में उपयोग होता है, क्षेत्र के भराव में होता है, माइन फिलिंग के लिए होता है, सड़क निर्माण के लिए होता है । इस तरह अलग-अलग उपयोग है, सब कुछ करके निष्पादन करना होता है ।

सभापति महोदय :- हो गया, पर्याप्त जवाब आ गया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी एक छोटा सा प्रश्न ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ऐसा कोई दूसरा टाइप का प्रश्न नहीं है ।

सभापति महोदय :- जल्दी जल्दी पूछिए, आपस लोग आपस में बात ज्यादा कर रहे हैं । सीधे प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी इसका फ्लाईएश ब्रिक्स बनाने के लिए हाईकोर्ट का भी फैसला आया । सरकारी कामों में उस ब्रिक्स का उपयोग हो । प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लाईएश ब्रिक्स का उपयोग होगा या कच्चे ईंटे का होगा, थोड़ा बताएंगे ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभी सरकारी कामों के लिए फ्लाईएश का उपयोग होता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का निर्देश है । लेकिन प्रधानमंत्री आवास की जहां तक बात है, उसमें व्यक्ति अपने से बनाता है, हितग्राही स्वयं से बनाता है । सरकार उसको सब्सिडी के रूप में पैसा देती है । इसलिए उसको कम्प्लसरी करना उस हितग्राही के लिए उचित नहीं होगा ।

स्भापति महोदय :- वह स्वतंत्र है । आखिरी प्रश्न आप पूछ लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यह फ्लाईएश से ही संबंधित मामला है इसलिए बहुत प्वाइंटेड दो प्रश्न पूछ रहा हूं ।

सभापति महोदय :- फ्लाईएश से संबंधित है इसलिए मैं पूछवा भी रहा हूं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जी । सभापति महोदय, किसी भी फ्लाईएश डैम में एक स्कैप रूट का प्रोवीजन रहता है कि अगर पानी ज्यादा भर जाए तो वह स्कैप चेनल से चला जाए और एमरजेंसी मैनेजमेंट होता है । लेकिन पिछले 7 साल में दो बार हमारे यहां बाढ़ की स्थिति बनी है और दोनों बार यह देखा गया कि एक बार राखड़ पूरा खेतों में फैला जिसका प्लांटों ने कम्पन्सेशन दिया और दूसरा वाकया यह हुआ था कि जब पानी छोड़ा गया तो एक लड़के की मौत हो गई थी । मैंने विधान सभा में प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सभी मानक पर सही है । अगर मानक पर सही है तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं ? आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इसको एक जांच समिति बनाकर जांच करवाएं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं ।

सभापति महोदय :- ये राखड़ से संबंधित मामला नहीं है । आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं यही पूछ रहा हूं कि यदि मानक सही है तो घटनाएं कैसे हो रही हैं ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- इस घटना में क्या घटित हुआ है, उसको जनरलाइज करके जवाब देना संभव नहीं है । आदरणीय सुशांत शुक्ला जी ने जो प्रश्न किया था, उसमें 0.1 हेक्टेयर प्रति मेगावाट का नार्म्स है । जिस घटना पर राघवेन्द्र जी ने बोला है, हम उसको दिखवा लेंगे ।

सभापति महोदय :- जी, आप बता दीजिएगा । मंत्री जी बता देंगे, उसमें क्या हो सकता है देख लेंगे ।

(3) जिला-राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औषधी उपकरण एवं सामग्री खरीदी में अनियमितता की जाना।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर कर्मचारी द्वारिका प्रसाद साहू, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव में मुख्य क्रय लिपिक भंडार के पद पर कार्यरत हैं के द्वारा औषधि, उपकरण एवं सामग्री तथा एन.आर.एच.एम. के अतंर्गत संपूर्ण खरीदी कार्य किया जा रहा है। द्वारिका प्रसाद साहू सी.एम.एच.ओ. के साथ मिलकर खरीदी में भारी अनियमितता कर रहा है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली एल-1 दर वाली फर्म से खरीदी न कर निविदा में भाग नहीं लेने वाले फर्म कामाक्षी मेडिकोज शदाणी दरबार रोड रायपुर से क्रय किया जाकर लाखों रूपये का चूना शासन को लगाया गया है। द्वारिका प्रसाद साहू पर एक स्थानीय फर्म द्वारा बिलों के भुगतान हेतु कोतवाली थाना राजनांदगांव में एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गई है। पूर्व में उक्त कर्मचारी पर शासकीय मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध राजनांदगांव चिकित्सालय में क्रय लिपिक के पद पर रहते हुए गैर कार्यालयीन फर्नीचर खरीदी का मामला डीएमई में चल रहा है। डीएमई द्वारा इसकी जांच हेतु कमेटी का गठन भी किया गया है, किंतु जांच के परिणाम आज अप्राप्त हैं। द्वारिका प्रसाद साहू के संबंध में अनेक शिकायतें तथा कार्यस्थल पर शराब पीकर आने की शिकायतों के कारण वर्ष 2017-2018 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा कार्य अरविंद कुमार वाहने फर्मासिस्ट ग्रेड-2 को प्रभार दिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया था। श्री वाहने द्वारा द्वारिका प्रसाद साहू के खरीदी एवं भुगतान में की गई घोर अनियमितता एवं फर्मों के लंबित भुगतान के संबंध में विस्तृत जानकारी तत्कालीन भंडार अधिकारी एवं अधीक्षक को दी गई, किंतु संबंधित पर कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उलट उसे संरक्षण प्रदान कर मुख्य क्रय लिपिक भंडार के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। भ्रष्ट कर्मचारी को संरक्षण प्रदान करने से कर्मचारियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है की स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध कार्य बिना रोक टोक के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उच्च अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के हौसले बुलन्द हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को महत्वपूर्ण प्रभार प्रदाय किया जा रहा है जिसमें पैसे के लेन-देन आसानी से किया जा सके। यह कहना सही है कि वर्तमान में मूल पदनाम फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ कर्मचारी श्री द्वारिका प्रसाद साहू मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव में प्रभारी क्रय/भंडार लिपिक स्थानीय मुख्य भंडार के पद पर कार्यरत हैं एवं उनके द्वारा औषधी, उपकरण एवं सामग्री तथा एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत सम्पूर्ण खरीदी कार्य किए जा रहे हैं किन्तु यह कहना सही नहीं है कि श्री द्वारिका प्रसाद साहू द्वारा सी.एम.एच.ओ. के साथ मिलकर खरीदी में कोई अनियमितता की जा रही है साथ ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली एल-1 दर वाली फर्म से खरीदी न कर निविदा में भाग नहीं लेने वाले फर्म कामांक्षी मेडिकोज शदाणी दरबार रोड रायपुर से क्रय किया जा कर लाखों रूपये का चूना शासन को लगाया गया है। अपितु सत्य यह है कि फर्म कामांक्षी मेडिकोज शदाणी दरबार रोड रायपुर द्वारा इस कार्यालय के दवा/उपकरण/सामग्री हेतु आमंत्रित निविदा में भाग लिया गया है जिसके कारण उक्त फर्म से एल-1 (न्यूनतम दर) पर क्रय की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। यह कहना सही नहीं है कि द्वारिका प्रसाद साहू पर एक स्थानीय फर्म द्वारा बिलों के भुगतान हेतु कोतवाली थाना राजनांदगांव में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। अपितु सत्य यह है कि द्वारिका प्रसाद साहू से शिकायत संबंधी एफ.आई.आर. नहीं होना पाया गया है।

यह सही है कि उक्त कर्मचारी द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध राजनांदगांव चिकित्सालय में क्रय लिपिक के पद पर रहते हुए गैर कार्यालयीन फर्नीचर खरीदी का मामला डीएमई में चल रहा था। डी.एम.ई. के निर्देश पर डीन द्वारा इसकी जांच हेतु कमेटी का गठन भी किया गया है किंतु यह सही नहीं है कि जांच के परिणाम आज तक अप्राप्त है। अपितु सत्य यह है कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा अधीनस्थ शासकीय मेडिकल कॉलेज के संबंद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव में क्रय लिपिक के पद पर रहते हुए गैर कार्यालयीन फर्नीचर खरीदी का मामला संज्ञान में आया जिसमें वर्ष 2019-20 में प्राप्त गैर-कार्यालयीन फर्नीचर हेतु अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव द्वारा जांच समिति गठित कर परीक्षण किया गया तदुपरान्त यह पाया गया कि गैर-कार्यालयीन फर्नीचर क्रय की कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

यह कहना सही नहीं है कि श्री द्वारका प्रसाद साहू के संबंध में अनेक शिकायतें एवं कार्यालय में शराब पीकर आने की प्राप्त शिकायतों के कारण वर्ष 2017-2018 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था अपितु सत्य यह है कि श्री द्वारका प्रसाद साहू को दवाइयां खरीदी में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं उनका प्रभार श्री अरविन्द

वाहने, फार्मासिस्ट, ग्रेड-2, कार्यालय संयुक्त संचालक सह अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला चिकित्सालय राजनांदगांव को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। यह कहना सही नहीं है कि श्री वाहने द्वारा श्री द्वारका प्रसाद साहू द्वारा खरीदी एवं भुगतान में की गई घोर अनियमितता एवं फर्मों के लम्बित भुगतान के संबंध में विस्तृत जानकारी तात्कालिक भंडार अधिकारी एवं अधीक्षक को दी गई, किन्तु कोई कार्रवाई संबंधित पर नहीं की गई बल्कि उल्टे उन्हें संरक्षण प्रदान कर मुख्य क्रय लिपिक भंडार के पद पर पदस्थ कर दिया गया और लाखों का वारा-न्यारा किया जा रहा है। अपितु सत्य यह है कि श्री वाहने द्वारा इस तरह की कोई जानकारी तत्कालीन भंडार अधिकारी एवं अधीक्षक को नहीं दी गई है।

उक्त संबंध में शासन द्वारा की जा रही नियमानुसार एवं त्वरित कार्रवाई किए जाने के कारण कर्मचारियों में किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- एक मिनट। आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- हां, आप पूछिये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि मैंने अपने ध्यानाकर्षण में जो पत्र लगाये हैं, उसकी पूरी कॉपी मेरे पास उपलबध हैं। जब वर्ष 2018 में श्री द्वारका प्रसाद साहू निलंबित हुए थे तो 1 महीने के बाद तत्काल उनको उसी जगह पर बैठा दिया गया। वह बीच में काम पर नहीं रहें, लेकिन वर्तमान में वह उसी पद पर लगातार कार्यरत् हैं।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति निलंबित हो गया हो तो बगैर जांच के उसे पुन: उस पद पर नहीं बैठाया जाता है। मैं आपको इसकी पूरी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। उसकी नोटशीट भी चली थी और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। ऐसी बात नहीं है, परंतु विगत लंबे समय से यह वर्ष 2018 का विषय है और आज वर्ष 2024 चल रहा है तो कृपा करके इसकी जांच कराएं। इस प्रकार के प्रकरण पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। मैंने तो केवल राजनांदगांव का विषय उठाया है। कृपा करके आप इसकी जांच करा लें। यदि आप चाहें तो मैं आपको इसकी पूरी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक निर्देश दिया था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मैं आपकी ही मदद कर रहा हूं। आप सीधा-सीधा प्रश्न पूछिये कि क्या आप ऐसा करेंगे और क्या ऐसा कराएंगे? आप ऐसा कुछ पूछिये।

श्री ब्यास कश्यप :- जी। सभापति महोदय, यह सीधी सी बात है और एक ही विषय है। मैंने कहा है कि क्या आप इस विषय की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है?

सभापति महोदय :- आप एक-एक करके पूछिये। मैं आपको 4 बार मौका दूंगा। आप एक बार में एक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- भाई साहब, पहली बार है। कभी-कभी अवसर आता है। हम अब भविष्य में पूरी तैयारी करके आएंगे।

सभापति महोदय :- मैं आपको मौका दूंगा। आप प्रश्न पूछिये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आप इसकी जांच कराएंगे? अभी तक इसका उत्तर क्यों नहीं आया है?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। अब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस मामले में चूंकि कलेक्टर ने उन्हें सस्पेण्ड किया था और उस समय उसकी जांच कराकर उनकी एक इन्क्रीमेंट रोककर उनको बहाल कर दिया गया। चूंकि उनको टरमिनेट तो नहीं किया गया कि उनको नौकरी में नहीं रखेंगे। निलंबन में ऐसा ही होता है। उस समय उन्होंने खरीदी में कोई गड़बड़ी पाई थी, उस आधार पर उनको निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद की प्रक्रिया के तहत् वह बहाल हो गये। वर्तमान में अभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि कुछ हो तो आप बताइये।

सभापति महोदय :- आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे पास शिकायतें हैं और मैं इसके दस्तावेज माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दे रहा हूं। मेरे पास शिकायत की कॉपी भी है। माननीय मंत्री जी, आपको जानकारी नहीं दी जा रही है और आपके विभाग के द्वारा जानकारी छुपाई जा रही है। मैं आपको दस्तावेज सौंप देता हूं। इस दस्तावेज के आधार पर मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आप इसकी जांच कराएं।

सभापति महोदय :- आप बिल्कुल आग्रह मत कीजिए। आप प्रश्न पूछिये कि क्या आप मेरे दस्तावेज की जांच कराएंगे?

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने कहा कि मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं तो क्या आप इस दस्तावेज के आधार पर जांच कराएंगे ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। मंत्री जी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इसके लिए माननीय सदस्य को ध्यानाकर्षण लगाने की जरूरत नहीं थी, वे मुझे बोल देते तो मैं जांच करा देता । इसमें जांच कराने का विषय ही नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए । आप जो प्रश्न नहीं पूछना चाहते थे, मैं उससे बड़ी चीज बोल रहा हूं । जब से मैंने स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार लिया है, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि स्टोर कीपर के संबंध में कई शिकायतें आती हैं । इसमें आर्थिक रूप से ईल्जाम लगते रहते हैं और ऐसी कई संभावनाएं बढ़ती हैं कि गड़बड़ी हो सकती है इसलिए मैं सदन के सामने एलान कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश में जो भी स्टोर कीपर तीन साल से एक ही जगह पदस्थ हैं, चाहे वह किसी भी स्तर के हों, हम सभी का ट्रांसफर करेंगे और दूसरे को प्रभार देंगे।

सभापति महोदय :- आपकी बात तो अब पूरी हो गई ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया है ।

सभापति महोदय :- ऐसा ही प्रश्न पूछिए तो जवाब आएगा । श्रीमती भावना बोहरा अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगी ।

<u>(4) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव में दैनिक वेतन भोगी दर पर अनियमित नियुक्तियां की जाना</u>

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजनांदगांव में दैनिक वेतनभोगी दर पर अनेक कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर अनियमित नियुक्तियां की गई हैं, जिसके लिए पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है । विभागीय प्रावधान के अनुसार पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की नियुक्ति सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों अथवा केन्द्रीय या शीर्ष समितियों में नहीं की जा सकती है । पंजीयक से अनुमति प्राप्त किए बिना की गई नियुक्तियां पूर्णत: अवैधानिक है । उक्त अवधि में रखे गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक/मानदेय पर बैंक एवं समितियों की बड़ी राशि का अपव्यय हुआ है । इन नियुक्तियों से पात्र युवा वंचित हुए हैं, क्योंकि पारदर्शी तरीके से खुला विज्ञापन निकालकर योग्य एवं पात्र व्यक्ति का चयन नहीं हुआ, बल्कि सांठ-गांठ तथा लेन-देन कर नियुक्तियां करने की जानकारी प्राप्त हुई है । उक्त अवधि में दैनिक वेतन पर रखे गए कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मानदेय पर अब तक किए गए व्यय की वसूली तथा दोषी पदाधिकारी/अधिकारी से वसूली एवं कार्यवाही नहीं होने से जन सामान्य में शासन के प्रति असंतोष व्याप्त है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, यह सत्य है कि जिल सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 29 भृत्यों की नियुक्ति दैनिक वेतन पर की गई है, जिसके लिए बैंक द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है । बैंक के सेवा नियमों में स्टाफिंग पैटर्न अनुरूप स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए तरीका, प्रक्रिया तथा पारिश्रमिक आदि नियत है ।

बैंक में की गयी दैनिक वेतन पर नियुक्तियों के संबंध में नियमानुसार जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बिना प्रश्न किये जॉच का आदेश किया है, लेकिन फिर भी इस विषय पर प्रकाश डालना जरूरी है । उनके पास जो डेटा है, उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी । मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी । ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि 29 भृत्यों की नियुक्ति हुई है । वह 29 नहीं, 53 भृत्य हैं, जिसके रिकार्ड भी मेरे पास उपलब्ध हैं । जिसने भी यह रिकार्ड सबमिट किया है, एक बार उसकी री-चेक करवा लें । दूसरा, चूंकि यह काफी गंभीर विषय है । पिछले 3 सालों से लगातार धांधली होती आ रही है । उसमें जो पात्र युवा थे या युवतियां थीं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो मुझे लगता है कि इस विषय में जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं सदन के माध्यम से यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि जो नियुक्तियां होती हैं, उसका तरीका क्या है, नियम क्या है ? इस पर मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट किया है कि उस नियुक्ति में जो गड़बड़ी की गई है, उसे नियुक्ति के लिए हमारे पंजीयक सहकारी संस्थाएं से अनुमति लेना था, वह अनुमति नहीं ली गई है । उसके लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई है, वह हम करेंगे । हम लोगों ने इसकी जांच के लिए प्रावधान किया है और इसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, इसमें एक विषय और आ रहा है, जिसकी ओर मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी । पहला विषय तो यही है कि जिसकी नियुक्ति प्रशासक पद पर हुई थी, वह कोई सरकारी व्यक्ति नहीं था, वह गैर सरकारी व्यक्ति था, कोई प्राईवेट व्यक्ति था । नियम यह कहता है कि अगर कोइ गैर प्रशासक व्यक्ति है, उसकी प्रशासक के तौर पर नियुक्ति नहीं होती है तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ जिसकी नियुक्ति प्रशासक के पद पर हुई थी, पहला वह। जिस व्यक्ति ने या जिस अधिकारी ने, प्रशासनिक अधिकारी ने गैर तरीके से उसकी नियुक्ति की थी, क्या उस पर कार्यवाही होगी ? क्या उस पर एफ.आई.आर. दर्ज होगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इसमें जो नामिनेटेड प्राधिकार व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, जो भी दोषी होगा, हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। हमारे सहकारिता एक्ट के अन्तर्गत जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उस पर कार्यवाही होगी।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, विषय गंभीर है। आलरेडी सारे लोग उसको लेकर 3 साल से परेशान हैं। तो क्या आप विशेष रूप से अवगत करायेंगे क्या कि इसमें कितना समय लगेगा ? क्योंकि इसमें पहले ही 3 साल का समय निकल चुका है। सरकार बदलने के बाद लोगों को कहीं न कहीं एक आस है कि जो गलत काम हुआ है, उसकी जांच होगी, उस पर कार्यवाही होगी। तो मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कृपया समय अवधि भी बता दें।

सभापति महोदय, दूसरा, किस तरह की जांच समिति बैठेगी, कौन-कौन उसके सदस्य होंगे, उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार होगी ? कृपया एक बार उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट बता दिया है कि जो संबंधित अधिकारी है, हम उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो नामिनेटेड व्यक्ति थे, उनको नियमत: चुनाव में भाग लेने की पात्रता है, वह हम 3 वर्षों के लिए खत्म कर रहे हैं। उसके जो भी खिलाफ कडी से कड़ी कार्यवाही होगी, वह कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय :- भावना जी, हो गया।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैं छोटा-छोटा 2 सवाल कर लेती हूं।

सभापति महोदय :- बहुत बड़ा निर्णय हो गया।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट का समय दीजिये। चूंकि यह गंभीर विषय है। मैं आपसे 2 मिनट का समय और चाहूंगी। मैं यही पूछना चाह रही हूं कि जिन अधिकारियों ने धांधली की है, उसमें कुछ अधिकारी आलरेडी वहां पदस्थ होंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो पदाधिकारी हैं, वे फेयर जांच करेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जो अधिकारी वहां पदस्थ हैं, उनके माध्यम से जांच नहीं की जायेगी। इसमें जो संलिप्त है, उनके खिलाफ पहले कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, एक आखिरी प्रश्न पूछ लेती हूं। लगातार 3 साल से 53 लोगों को पेमेन्ट हुआ है, उनको राशि का भुगतान किया गया है, जिससे बहुत सारा नुकसान सहकारी बैंक को हुआ भी है। उस राशि की जो वसूली है, आप उसकी वसूली किस तरीके से करेंगे ? किससे वसूली करेंगे ? क्योंकि जो रिकव्हरी हुई है, वह इसमें काफी बड़ी संख्या में है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह पूरा मामला बहुत ही संगीन है। इसमें जांच होगी और इसमें जो भी दोषी है, जो रिकव्हरी करने योग्य होगा, हम रिकव्हरी भी करेंगे ताकि किसी भी तरीके से किसी को छूट प्रदान नहीं किया जायेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, समय अवधि बता दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, समय अवधि बताना संभव नहीं है।

सभापति महोदय :- पर्याप्त उत्तर है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी।

सभापति महोदय :- ठीक है मंत्री जी, आपका उत्तर पर्याप्त है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, देखिये। वह तो जीतने के लिए मंत्री बनते हैं, मैं तो बोला हूं। वह जीतेंगे मतलब सरकार बनेगी और उनको मंत्री बनना है। कुछ बातें हैं, माननीय मंत्री जी के सामने, सदन के सामने..।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपकी पूरी तकलीफ झलक रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये तो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, हम उनको समझ रहे हैं कि कितना तकलीफ हो रहा है, हम आपके साथ हैं।

सभापति महोदय :- आप समझकर भी क्या करेंगी।

श्रीमती भावना बोहरा :- संगीता जी, हम लोग भी आपके साथ हैं।

सभापति महोदय :- समझकर भी क्या करेंगी, उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनके प्रति क्या भावना रखता हूं, वह मेरी और उनकी सम्पत्ति है। इधर की टिप्पणी के लायक वह विषय नहीं है, वह समझ से परे है।

सभापति महोदय :- आप बोलिये साहब।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नकर्ता सदस्य महोदया ने 53 पद कहा। अधिकारियों ने उनको 29 पद की जानकारी दी है। वह बता रही हैं कि मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। सबसे पहले रिकार्ड में यह क्लयर हो जाये कि 29 पद है या 53 पद है ? फिर मैं आगे प्रश्न करूंगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बताईये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि वर्ष 2020-21 में 22 पद एवं वर्ष 2023 में 29 पद, इस तरीके से 51 पद तक की जानकारी मेरे समक्ष है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, 22 और 29 को जोड़ भी दें तो 51 पद हो रहा है। माननीय सदस्य महोदया 53 कह रही हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने 51 पद ही कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह 53 बोल रही हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अब वह जांच में पता चलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, तो आप उनकी जानकारी टेबल करवायेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं उनसे जानकारी ले लूंगा। उसके आधार पर करेंगे। मेरे पास जो जानकारी है, जो विभाग ने मुझे जानकारी दी है, मैं उस जानकारी को यहां पर उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि अभी से उसमें यह गड़बड़ हो रही है कि सदस्य महोदया कह रही है 53 और विभाग जानकारी दे रहा है 51 की, गड़बड़ी की शुरूआत तो विधान सभा में ही विभाग कर रहा है ? दूसरी बात, चाहे वह गैर शासकीय प्रशासक हो, चाहे पदों की संख्या हो, चाहे वह अनुमति लेने की बात हो, चाहे वह पदस्थ अधिकारी वर्तमान में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी बात हो । माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि यह मामला संगीन है, हम इसकी जांच करवायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूँ कि एक दिन जैसे आपने प्रश्न में कहा था कि कोई राजपत्रित अधिकारी है और उसी लेवल की जांच करता है तो उसके खिलाफ क्या जांच कर पायेगा ? आप कृपया यह बतायें कि 51 है या 53 है, जो सदस्य महोदया कह रही है, उसको अधिकृत मानेंगे क्या ? जांच किस स्तर के अधिकारी से कितने दिनों में की जायेगी, कितने महीनों में की जायेगी, क्योंकि यह तीन मामला 3 साल से चल रहा है ?

सभापति महोदय :- चलिये ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इसमें जांच की जायेगी और जांच संयुक्त पंजीयक स्तर से की जायेगी और इसकी जांच जल्द से जल्द होगी । इसमें जो भी दोषी है, उस पर कार्यवाही होगी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके कमिटमेंट में भरोसा है तो आपको अवधि बताने में क्या प्राब्लम है ? सिर्फ 53 लोग या 51 लोग, आपके हिसाब से 3 साल से चल रहा है, सारे लोग हैं अवधि बता दीजिए ? इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी, आपकी गरिमा बढ़ेगी, प्रश्नकर्ता सदस्य की गरिमा बढ़ेगी ।

सभापति महोदय :- बता रहे हैं ना ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, हम तीन महीने के भीतर इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप भी पुछेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, एक छोटा सा...।

सभापति महोदय :- पूछ लीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय, नियम भर्ती प्रक्रिया के तहत कुछ न कुछ तो नियम होंगे, क्या भारसाधक के रूप में अशासकीय व्यक्ति को यह पॉवर है क्या कि वह भर्ती कर सकता

है ? भर्ती करते समय उन्होंने किन-किन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, भर्ती के लिये आपने कोई विज्ञापन या ऐसी कोई चीज निकाली है क्या ?

समय
1.42 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)**

श्री केदार कश्यप :-अध्यक्ष महोदय, जो भर्ती के लिये प्रावधान है, उसमें बैंक के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाओं से अनुमति लेना था, जो वहां पर संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी है । जो गड़बड़ी सामने आई है, उस गड़बड़ी को लेकर ही मैंने स्पष्ट कहा है कि उस पर जांच करेंगे, जो उसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, वह कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, मैंने स्पष्ट पूछा कि आपने भृत्य की भर्ती की है, आपने जिसकी भर्ती की है, पहला प्रश्न यह है कि क्या शासकीय व्यक्ति को प्रशासक के रूप में बिठाया है ? क्या उसके पास पॉवर था ? दूसरा, भर्ती प्रक्रिया के अंदर नियम के अनुसार कोई विज्ञापन वगैरह निकाला है, चयन किस प्रक्रिया के तहत किया गया ? यह थोड़ा सा स्पष्ट कर दें ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संदर्भ में जो विज्ञापन किया जाता है, वह विज्ञापन नहीं किया गया है । उसका विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है । संचालक मंडल द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, इसमें पंजीयक से अनुमति ली जाती है । यहां अनुमति नहीं ली गई है, मैंने इसके संदर्भ में सदन को पहले कहा था ।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अशासकीय सदस्य भारसाधक बनकर बैठ गया । उसके पास नियम प्रक्रिया के तहत किसी प्रकार का प्रशासकीय निर्णय करने का अधिकार नहीं है, यह पहला उल्लंघन है । दूसरा उल्लंघन, किन लोगों को भर्ती के अंदर भागीदार बनाना है, उसका कोई विज्ञापन नहीं है । यह 53 लोग जो आये हैं, क्या यह डिपार्टमेंटली पुराने हैं, इनका चयन किस प्रकार से किया गया है, यह कौन लोग है, इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई, जरा मंत्री महोदय इस पर बता दें ? आपने कहा कि मैं जांच करा लूंगा, यह तो किसी व्यक्ति के पास पॉवर नहीं है, वह व्यक्ति भर्ती कर दे और सरकार उसको ढ़ोकर चले ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें एक विषय छोटा सा और लेना चाहूंगी । जब नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति पत्र पर बकायदा हस्ताक्षर भी हुये हैं कि प्रशासक के पद पर नियुक्ति हो रही है । यह दस्तखत भी हुये हैं और बराबर उनका नियुक्ति भी हुआ है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, मेरा इतना ही कहना है कि जब किसी व्यक्ति के पास पॉवर नहीं है, शासन चल रहा है । आपके सहकारिता विभाग में डायरेक्टर से लेकर सचिव तक बैठे हैं । 53 लोगों की नियुक्ति किसी ने कर दी, यह किसी व्यक्ति के संज्ञान में नहीं आया और वह

अशासकीय सदस्य जिसको इसका अधिकार नहीं, उस व्यक्ति ने बिना पेपर में विज्ञापन दिये 53 लोगों को नियुक्ति दे दी और वह लगातार 03 साल से चल रही है। क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो भृत्य की नियुक्ति की गयी है, वह दैनिक वेतनभोगी है लेकिन उसकी भी प्रक्रिया है और मैंने यहां पर इसके संदर्भ में जानकारी दी। यदि वहां पर इस स्तर की गड़बड़ी हुई है कि वहां पर एक अशासकीय व्यक्ति है और उसने पूरे नियमों का निरंतर उल्लंघन किया है। यदि यह क्रिमिनल मामला है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।

श्री राजेश मूणत :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (106) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा।

5. श्रीमती शेषराज हरवंश
6. श्री कुंवर सिंह निषाद
7. श्रीमती चातुरी नंद
8. श्रीमती चातुरी नंद
9. श्री गजेन्द्र यादव
10. सर्वश्री मोतीलाल साहू, अजय चन्द्राकर
11. श्री इन्द्र साव
12. श्री राजेश मूणत
13. श्री राजेश मूणत
14. श्री लखेश्वर बघेल
15. श्रीमती भावना बोहरा, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
16. श्री धरमलाल कौशिक
17. श्री रामकुमार टोप्पो
18. श्रीमती रायमुनी भगत
19. श्री नीलकंठ टेकाम
20. सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अटल श्रीवास्तव, ब्यास कश्यप
21. सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मंडावी
22. श्रीमती चातुरी नंद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

23. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत
24. श्री अनुज शर्मा
25. श्री राजेश अग्रवाल
26. श्री राजेश मूणत
27. श्री अजय चन्द्राकर
28. सर्वश्री भोलाराम साहू, राघवेन्द्र कुमार सिंह
29. श्री आशाराम नेताम
30. श्री पुरन्दर मिश्रा
31. श्री कुंवर सिंह निषाद
32. श्रीमती चातुरी नंद
33. श्री सुशांत शुक्ला
34. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
35. श्री अटल श्रीवास्तव
36. श्री पुरन्दर मिश्रा
37. श्री मोतीलाल साहू
38. सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, प्रबोध मिंज
39. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक
40. श्री ललित चन्द्राकर
41. श्रीमती रायमुनी भगत
42. श्रीमती रायमुनी भगत
43. श्री ब्यास कश्यप
44. श्री पुरन्दर मिश्रा
45. श्री प्रेमचंद पटेल
46. श्री प्रेमचंद पटेल
47. श्री जनक ध्रुव
48. श्री रिकेश सेन
49. श्री ललित चन्द्राकर
50. श्री संदीप साहू
51. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
52. श्री दिलीप लहरिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

53. श्री बालेश्वर साहू
54. श्रीमती शेषराज हरवंश
55. श्रीमती चातुरी नंद
56. डॉ. चरणदास महंत
57. श्री पुरन्दर मिश्रा
58. श्री पुरन्दर मिश्रा
59. श्री जनक ध्रुव
60. श्री रिकेश सेन
61. श्री राजेश मूणत
62. श्री पुरन्दर मिश्रा
63. श्री राजेश मूणत
64. श्री राजेश मूणत
65. श्री राजेश मूणत
66. श्री राजेश मूणत
67. श्री दलेश्वर साहू
68. श्री राजेश मूणत
69. श्री इन्द साव
70. श्री दलेश्वर साहू
71. श्री दलेश्वर साहू
72. श्री पुरन्दर मिश्रा
73. सर्वश्री लखेश्वर बघेल, द्वारिकाधीश यादव
74. श्रीमती चातुरी नन्द
75. श्री राजेश मूणत
76. श्री पुरन्दर मिश्रा
77. श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री रामकुमार यादव
78. श्रीमती रायमुनी भगत
79. श्री सुशांत शुक्ला, श्रीमती संगीता सिन्हा
80. श्री राजेश मूणत
81. श्री दिलीप लहरिया
82. श्री बालेश्वर साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

83. श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, द्वारिकाधीश यादव
84. श्री आशाराम नेताम
85. डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, कुंवर सिंह निषाद
86. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
87. श्री अटल श्रीवास्तव
88. सर्वश्री देवेन्द्र यादव, द्वारिकाधीश यादव
89. श्री धरमलाल कौशिक
90. श्री रामकुमार टोप्पो
91. डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अटल श्रीवास्तव
92. श्री लखेश्वर बघेल
93. श्री रिकेश सेन
94. श्रीमती चातुरी नन्द
95. डॉ. चरणदास महंत
96. श्री विनायक गोयल
97. श्रीमती गोमती साय
98. श्रीमती गोमती साय
99. श्री विक्रम मंडावी
100. श्रीमती कविता प्राण लहरे
101. सर्वश्री विक्रम मंडावी, लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा
102. श्री धरमलाल कौशिक
103. श्री धरमलाल कौशिक
104. श्री रोहित साहू
105. श्री विनायक गोयल
106. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

समय :

01.47 बजे **नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को मैंने सदन में 18 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. डॉ. चरणदास महंत
2. श्री इन्द्र साव
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री द्वारिकाधीश यादव
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री कुंवर सिंह निषाद
7. श्रीमती चातुरी नंद
8. श्री संपत अग्रवाल
9. श्री पुरन्दर मिश्रा
10. श्रीमती गोमती साय
11. श्री धरमलाल कौशिक
12. श्री रामकुमार यादव
13. श्री ललित चन्द्राकर
14. श्री जनक ध्रुव
15. श्री सुशांत शुक्ला
16. श्रीमती अनिला भेंडिया
17. श्री बघेल लखेश्वर
18. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

समय :
1.48 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :

2. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
3. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
6. श्री रोहित साहू
7. श्रीमती अंबिका मरकाम
9. श्री द्वारिकाधीश यादव
10. श्रीमती भावना बोहरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1.49 बजे

<u>संकल्प</u>

(1) "यह सदन भारत सरकार द्‌वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये गये (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन भारत सरकार द्‌वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये गये (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अटल श्रीवास्तव जी।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो कि भारत सरकार द्‌वारा यहां भेजा गया है, हम इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमर अग्रवाल।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान की अनुच्छेद-252 के खण्ड के अनुसरण में यह प्रस्ताव लाया गया है। यह अधिनियम 1974 में इस देश की संसद के द्‌वारा पारित किया गया था और समय के साथ इसके क्रियान्वयन में कुछ खामियां पायी गयीं और उन खामियों को दूर करते हुए प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष की अर्हता क्या होगी, उनके सदस्यों की क्या अर्हता होगी, इसका निष्पादन कैसे होगा ? इसमें उन सारी बातों का समावेश किया गया है। केवल यह अनुसमर्थन के लिए आया हुआ है। इसलिये इस विधान सभा में यह पास करना उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे?

श्री ओ.पी चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"यह सदन भारत सरकार द्‌वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसर्मथन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) "यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, संकल्प करता हूँ कि-

"यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्याक 38) के संशोधन के अनुसमर्थन के लिए यहां आया है यह संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आया है, हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के पूर्व जो सरकारें, प्रतिभूति में जो लोन लेते थे, इसका नियम लोक ऋण अधिनियम 1944 का था। इसमें Is of doing के तहत जो प्रतिभूति खरीदते हैं उनके और अधिकार बढ़ाने के लिए यह अधिनियम 2006 में इस देश में पारित हुआ। इसमें मूल रूप से जो निवेशक होते हैं जो प्रतिभूति खरीदते हैं उसका नामांकन कैसा होगा, कोई मृतक हो जाए तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, यह पहले प्रावधान नहीं थे। उस प्रावधान को इसलिए शामिल किया गया, जिससे निवेशक के प्रतिभूति के जो हित हैं, वह सुरक्षित रह सकें। इसका नाम में भी परिवर्तन किया गया है। पहले जो था राज्य विकास ऋण से राज्य सरकार प्रतिभूति। इसके नियम में भी थोड़ा संशोधन किया गया है। जो इंवेस्ट करते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी ? उसका नामांकन कैसे होगा ? उसका विस्तार कैसे होगा ? इन सारी बातों का समावेश है, जिससे प्रतिभूति खरीदने वाले की सुरक्षा हो सके और उसका विस्तार हो सके। उसी के लिए वर्ष 2006 में संसद में इसको पास किया गया है। अत: केवल यह अनुसमर्थन का है। मेरा सारे सदस्यों से अनुरोध है कि इस संकल्प को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपको कुछ बोलना है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प नये समय की जरूरतों के अनुरूप है इसलिए यह अनुच्छेद 252 के अंतर्गत है तो सभी समर्थन करें, मैं यह निवेदन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

"यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

<u>नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा</u>

<u>प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं तथा उसके रोकथाम के संबंध में।</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की चर्चा लेंगे या बाद में लेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, 139 की चर्चा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जैसी आपकी इच्छा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 139 की चर्चा को ले लेंगे। यह बहुत दिन में तो लगा है और नये सदस्य सीखेंगे भी कि नियम 139 की चर्चा क्या है। इसको जल्दी कर लेते हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट में करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- यदि 10 मिनट में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको अगले सत्र में ले लेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- हॉ, इसको 10 मिनट में कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगले-अगले सत्र में टलते-टलते इतने दिन तक टल गया है। अब जैसा आप कहें, आपके सामने बहस नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- यदि सदन चाहता है कि अगले सत्र में लेना है या इस सत्र में लेना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो निर्णय देंगे, वह मेरे को निर्णय मान्य है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपके ऊपर छोड़ा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके ऊपर निर्णय छोड़ा है। मैं आपसे कैसे बहस करूंगा ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजय चन्द्राकर जी का यह रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अजय चन्द्राकर जी, आसंदी का बहुत सम्मान करते हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने अजय चन्द्राकर जी के कई और रूप नहीं देखे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अन्य वक्ताओं को नहीं बुलाऊंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बगैर 139 की चर्चा में मजा नहीं आयेगा। आप चाहें तो इसको अगली बार ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अगली बार ले लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि 139 जब 139 के स्वरूप में आयेगा, तब मजा आयेगा। मेरे भर बोलने के लिए तो वह ध्यानाकर्षण, स्थगन हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 139 की जो अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है, यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सब कोई बोलेंगे तो अपना-अपना अनुभव बतायेंगे कि कहां पर क्या तकलीफ है, कहां पर ब्लैक स्पॉट है, कहां पर रोड खराब है, कहां ट्रेफिक ओवरलोडेड है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो बोल रहा हूं कि लंबा समय लगेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ, आप भले उसको अगली बार ले लीजिए, पर इसमें चर्चा जरूर कराईयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी एक बात मान लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, एक मिनट।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, मैं पहले बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा जी, आप बोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आज नेता जी पूरे मूड़ में हैं। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़े सदन में विशेषज्ञ के रूप में हैं, तरह-तरह की चर्चाएं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह विशेषज्ञ हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो नये-नये आगंतुक सदस्यगण हैं, वह सब सीखते भी हैं। उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। आज चूंकि समय कम है। इनकी जो 139 की चर्चा है, उसको अगले बार के लिए कर दिया जाये। हम भी सहमत हैं, वह भी सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब नेता जी भी सहमत हैं। आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाईन भर बोल रहा हूं। अगले सत्र में कर लीजिए। लेकिन 139 की चर्चा में अगली बार उत्तर पी.डब्ल्यू.डी. ने दिया है, यह पी.डब्ल्यू.डी. का विषय नहीं है। इसमें स्थानीय शासन आता है, परिवहन आता है, पी.डब्ल्यू.डी. आता है, इसमें 4-5 विभाग आते हैं। यह विभाग के अधिकारी अगली बार रहें और पूरी बात को सुनें।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे लोग रहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- परिवहन के लोग रहें। अभी तो सिर्फ पी.डब्ल्यू.डी. के एक आदमी, एक मंत्री जी भर हैं। क्योंकि यह बहुत सारे विभागों से जुड़ा है, जैसे नेता जी ने, आपने इसकी महत्ता कही है तो वह पूरे विभाग के लोग रहें, तब इसका कोई अर्थ निकलेगा कि हम सब मिलकर जन-धन की सुरक्षा छत्तीसगढ़ में कैसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपकी चिंता निश्चित रूप से सब लोगों ने सुनी है, नोट भी किया है। वरिष्ठ लोग रहेंगे, इससे संबंधित विभाग के लोग रहेंगे।

समय
1.58 बजे

समितियों का निर्वाचन एवं नाम-निर्देशन

अध्यक्ष महोदय :-

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-25 की अवधि के लिये नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए नौ-नौ उम्मीदवारों के ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं। चूंकि पांचो समितियों हेतु नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित होना हैं। अत: मैंने इन समितियों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन प्रपत्र अनुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है।

(2) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में प्रावधान के अनुसार मैंने नाम-निर्दिष्ट समितियों के लिए सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-2025 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट कर दिया है तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति हेतु नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए समिति का कार्य काल निर्धारित है। अत: मैंने इस समिति में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-25 एवं 2025-26 की अवधि हेतु सेवा करने के लिए सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट कर दिया है।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैंने इन समितियों के सभापति को भी नियुक्त कर दिया है।

उक्त समितियों के सभापति एवं सदस्यों की जानकारी पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से सदस्यों को दी जायेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

2:00 बजे

<u>नियम - 167 (1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर द्‌वारा माननीय सदस्या, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल के विरूद्‌ध विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 01/2024 दिनांक 23.02.2024 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

<u>सत्र समापन</u>

<u>अध्यक्षीय उद्‌बोधन</u>

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के प्रथम बजट सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह बजट सत्र 05 फरवरी, 2024 से 01 मार्च, 2024 के मध्य आहूत था, परंतु आप माननीय सदस्यों की सहमति से सत्र की अवधि में संशोधन करते हुए, इस बजट सत्र का आज समय के पूर्व ही समापन हो रहा है। मैं सत्र की सुव्यवस्थित संचालन के लिए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी एवं नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉ. चरण दास महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगणों सहित आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

यह हम सबके लिए उपलब्धि और गर्व का विषय है कि इस बजट सत्र के पूर्व 20 और 21 जनवरी, 2024 को षष्ठम् विधान सभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रबोधन कार्यक्रम में देश के माननीय उप राष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया जी एवं माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विधान सभा आगमन हुआ और आप सभी उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए। इस बजट सत्र में प्रबोधन कार्यक्रम से अर्जित ज्ञान का प्रभाव मैंने सदन में आपके संसदीय प्रदर्शन से अनुभव किया है।

यह बजट सत्र इस सरकार का प्रथम बजट सत्र था, इसके बावजूद मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आप माननीय सदस्यगणों की संसदीय जागरूकता से कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि आप नव निर्वाचित सदस्य हैं और प्रथम बार कार्यवाही में सहभागी बन रहे हैं। जिस तैयारी और तत्परता के साथ पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने सदन में संसदीय प्रक्रियाओं में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। दोनों ही पक्षों से जो प्रथम बार सदस्य चुनकर आए

हैं, उन्होंने चर्चा के विभिन्न माध्यमों में अपनी सक्रिय सहभागिता से इस सदन की गरिमा को संवर्द्धित किया है। विशेष रूप से वे नये सदस्य जो पहली बार जीतकर आये हैं, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती भावना बोहारा, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री सुशांत शुक्ला, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, श्री नीलकंठ टेकाम सहित लगभग हमारे सभी सदस्यों ने सक्रिय संसदीय सहभागिता प्रदर्शित की, जो षष्ठम् विधान सभा के लिए शुभ संकेत है।

मैं इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि इस बजट सत्र की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने 15 फरवरी, 2024 को सदन में वक्तव्य देकर बस्तर क्षेत्र के लिए **नियद नेल्लार योजना** की घोषणा की, जिसका अर्थ आपका अच्छा गांव होता है। यह नवाचार योजना बस्तर के सुदूर अंचल में निवासरत वनवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही भाषण में विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, मोदी जी के गारंटी को पूर्ण करने का दृढ़ता दिखाया। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। उनके उस उद्बोधन के लिए नेता प्रतिपक्ष जी को भी बधाई देता हूं। उन्होंने अपने भाषण की एक विशिष्ट शैली विकसित की है। इसके लिए मैं महंत जी को बधाई देता हूं कि आप नये-नये प्रयोग करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

इस सदन में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो पहली बार विधान सभा के लिए चुन कर आये हैं और राज्य सरकार में मंत्री की भूमिका का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव जी पहली बार जीत कर आये हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय श्री टंक राम वर्मा जी, इन्होंने अपने विभाग के प्रश्नोत्तर में जिस प्रभावी ढंग से प्रस्तुति दी, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे पहली बार मंत्री बने हैं। इन सभी को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

इस अवसर पर विशेष रूप से प्रतिपक्ष के सदस्य माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी एवं माननीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी की भी प्रशंसा करता हूं आपने अपने प्रयासों से सदन में प्रतिपक्ष की भूमिका को जीवंत बनाने रखने में भरपूर योगदान दिया । मैं सराहना करता हूं सत्तापक्ष के विद्वान सदस्य माननीय श्री अजय चंद्राकर जी का जिन्होंने यह साबित कर दिया कि बार-बार श्रेष्ठ विधायक का सम्मान उन्हें क्यों मिलता है । (मेजों की थपथपाहट) यह उनके प्रभावशाली इस प्रथम सत्र में ही अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाया और इसके साथ ही साथ राजेश मूणत जी भी नये रूप में इस बार विधानसभा में प्रकट हुए, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय श्री रामविचार नेताम जी, माननीय श्री केदार कश्यप जी ने अपने कार्यों से अपने दीर्घ संसदीय अनुभव का बोध कराया है वहीं दूसरी तरफ

सदन में जो सदस्य चुनकर आये हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं । माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी बहुत ही सराहनीय ढंग से प्रश्नों का जवाब दिया और मैं सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

मुझे यह बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सत्र में अध्यक्षीय निर्देश पर माननीय वित्तमंत्री ने पूरे प्रदेश में अवैध खनन और अवैध परिवहन के विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की । माननीय सदस्य रिकेश सेन द्वारा प्रकरणों की जानकारी देने पर एक सप्ताह में परीक्षण करने की एवं प्रधान मंत्री आवास हेतु 18 लाख आवास के लिये नि:शुल्क रेत देने की घोषणा की । (मेजों की थपथपाहट) यह अपने आपमें बहुत बड़ी घोषणा है और विधानसभा की ताकत दिखाता है । इसी प्रकार माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री ने छोटे स्कूलों में अहाता सहित तथा बड़े में बारवेट वॉयर और वृक्षारोपण के माध्यम से शाला भवन को सुरक्षा देने में सहमति दिखायी है ।

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि इस सत्र में प्रश्नकाल का आप सभी माननीय सदस्यों ने प्राप्त अवसर का भरपूर लाभ उठाया । प्रश्नकाल वह हथियार है, जिसमें सदस्य सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है । मैंने अपने संसदीय जीवन में किसी भी सत्र में प्रश्नकाल का इतना बेहतर उपयोग करते हुए नहीं देखा है, यह अपने आपमें बहुत बेहतर अनुभव मुझे महसूस हुआ । (मेजों की थपथपाहट) मैं बताना चाहता हूं कि इस सत्र के प्रश्नकाल में जहां कुछ प्रश्नों के महत्व को देखते हुए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपे गये, वहीं प्रश्नकाल में ही भिन्न प्रश्नों पर विभागीय जांच का आश्वासन भारसाधक मंत्री ने दिया । प्रश्नकाल में जहां शिक्षकों की पदौन्नति की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की, वहीं प्रश्नकाल में कार्यपालिका के कुछ अधिकारियों को उनके कार्यकरण के लिये निलंबित भी किया गया । साथ ही इस विधानसभा के वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक यह प्रथम बार हुआ है कि जब प्रश्नकर्ता के एक प्रश्न पर माननीय विभागीय मंत्री ने सदन के प्रश्नकर्ता सदस्य की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कराने की घोषणा की है । (मेजों की थपथपाहट) यह एक महत्वपूर्ण विषय है । श्री धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न 6 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक-58) "पी.डी.एस. के तहत् संचालित दुकानों की जांच" विषयक पर सदन की समिति से जांच कराने की सहमति दी, यह मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है । मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल का इससे बेहतर उपयोग का और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता । मैं सभी प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों को, विभाग के मंत्रीगणों को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्नकाल के माध्यम से विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण को मजबूती देने का कार्य किया है । निश्चित ही ऐसे प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की पूर्ति होती है ।

आप माननीय सदस्यगणों से मेरा यह आग्रह है कि सदन की गरिमा और मर्यादा आपके कार्यकरण पर ही निर्भर है । जितना आप इस सदन की गरिमा पर ध्यान रखेंगे उतना ही आपका

सम्मान बढ़ेगा । मैं नवोदित माननीय सदस्यगणों और वरिष्ठ माननीय सदस्य दोनों से अनुरोध करता हूं कि सदन की परम्परा और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिये आप गंभीर हों । मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कुछ माननीय सदस्य चर्चा के दौरान जानकारियां लेने के लिये प्रश्न पूछते समय मोबाईल का उपयोग करते हुए देखे गये, जो कि संसदीय सदन की परम्परा नहीं है । ऐसे सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो, मोबाईल बाहर रखकर आयें तो बेहतर होगा ।

आप माननीय सदस्यों से मेरा यह भी आग्रह है कि अपने संसदीय ज्ञान को विस्तार देने के लिये निरंतर आप प्रयासशील रहें । विधानसभा के पुस्तकालय और संदर्भ शाखा का उपयोग करें । अपने वरिष्ठजनों से परामर्श लें क्योंकि किसी भी विषय पर आपका अध्ययन, आपकी जितनी अधिक होगी, आप उतने ही अच्छे ढंग से अपनी बात रख सकेंगे और आपके इस कार्य से निश्चित ही सदन में न केवल इससे चर्चा का स्तर बढ़ेगा, अपितु चर्चा परिणाम मूलक भी होगी। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट में 14 माननीय सदस्यगणों ने पुस्तकालय सुलभ संदर्भ का उपयोग किया। मुझे यह अपेक्षा है कि यह संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का कुशलता से निर्वहन कर लोकतंत्र में सजग सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका को अपने कार्य, विचार और व्यवहार से सिद्ध किया है। यह बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। आप माननीय सदस्यगणों की संसदीय परिपक्वता और जनकल्याण के प्रति आपकी वचनबद्धता इस सत्र में स्पष्ट रूप से नजर आयी। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप माननीय सदस्यगणों ने पक्ष-प्रतिपक्ष के भाव से ऊपर उठकर जनकल्याण को सर्वोपरि समझा है।

इस सत्र में राज्य की समग्र उन्नति एवं जनहित से संबद्ध प्रत्येक विषयों पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई, धान खरीदी, पर्यावरण, प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा, आवागमन, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक विषयों पर जो समग्र सारगर्भित चर्चाएं हुईं हैं। इसे मैं इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

इस बजट सत्र में राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग 1500 छात्र-छात्राओं ने विधान सभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। यह परंपरा आने वाले सत्रों में भी बनी रहे, इसके लिए आप माननीय सदस्यगण प्रयास करेंगे।

परंपरा अनुसार बजट सत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 14 फरवरी से 16 फरवरी, 2024 को विधान सभा चिकित्सालय में किया गया। इसी क्रम में 26 फरवरी, 2024 को एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही. रिसर्च सेंटर, रायपुर द्वारा कार्डियक कैंप 27 फरवरी, 2024 को श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल पॉजिटिव हेल्थ जोन, रायपुर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारा नेत्र/आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर का आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को श्री अनंत सांई हॉस्पिटल द्वारा कार्डियक कैंप का आयोजन किया गया इस हेतु मैं स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एस.एम.सी. हॉस्पिटल, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एवं श्री अनंत साई हॉस्पिटल, रायपुर को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों को उनके संसदीय कार्यों में सहयोग के लिए विधान सभा द्वारा आप माननीय सदस्यों को लैपटॉप वितरित किया गया है। आपसे आग्रह है कि इसका आप अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय सभी सदस्यगणों को राजिम कुंभ कल्प 2024 में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया है। श्री राजीव लोचन भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ लेने का अवसर हमें मिला है। उन्हें धन्यवाद।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में संपादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र में कुल 26 दिवसों में लगभग 101.34 घंटे चर्चा हुई। 16 बैठकों में 145 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन के द्वारा दिये गये। इस सत्र में 1337 तारांकित प्रश्न और 1357 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार 2694 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 411 सूचनाएं, जिसमें 214 सूचनाएं ग्राहय की गईं और 33 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में कुल 147 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुईं। शून्यकाल की 61 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 25 सूचनाएं ग्राहय और 14 सूचनाएं अग्राहय रहीं। वर्तमान सत्र में 266 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 139 ग्राहय व 76 अग्राहय रही। 10 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें से 05 संकल्प ग्राहय हुए तथा 04 संकल्प स्वीकृत हुए एवं 1 व्यपगत हुआ। इस सत्र में 5 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और चर्चा उपरांत सभी पारित हुए।

वित्तीय कार्य के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 39 मिनट, वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा सहित विभागों की अनुदान मांगों पर 55 घंटे 21 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 5 घंटे चर्चा हुई।

अंत में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के माननीय नेता, मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभी सदस्यों का पुन: हृदय से धन्यवाद् करता हूं । सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हुआ । मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग दिया । इसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं । जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रचार प्रसार के इस माध्यम से प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया । छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी मीडिया के प्रतिनिधि के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । माननीय राज्यपाल का अभिभाषण, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत

बजट भाषण तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण उन्होंने किया । सत्र की पूर्णता पर राज्य शासन के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूं । जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में की । मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ किया । सत्र समापन के अवसर पर संभावित तिथी की घोषणा की जाती है । जुलाई के अंतिम सप्ताह के मध्य यह संभावित है । हम सभी प्रदेश के विकास के प्रति कृत संकल्पित हैं । इसी भावना के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 के इस प्रथम विधान सभा सत्र के कुशल संचालन के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद् देता हूं । अध्यक्ष महोदय, हम सबने देखा कि सत्र के दौरान अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद आपने किस तरह तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया (मेजो की थपथपाहट) । इसी सत्र के पहले आपने प्रबोधन कार्यक्रम का भी आयोजन किया था । जिससे हम सभी को बड़ा लाभ हुआ । नए सदस्यों ने भी संसदीय परम्पराओं की बारीकियों को भलीभांति समझा । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी उनके सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद् देता हूं । मैं संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल को धन्यवाद् देता हूं कि उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से इस सत्र में संसदीय कार्यों की गरिमा को नया आयाम दिया । इसी सत्र के दौरान उन्हें मातृशोक हुआ मैं उनकी माताजी को नमन् करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी अपने अपने विभागों के माध्यम से आम नागरिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद् देता हूं। इस सत्र में शामिल सभी सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद् देता हूं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार सत्र के दौरान सदन और सरकार के सामने रखे । सत्र के संचालन में विधान सभा के अधिकारी, कर्मचारियों ने कर्मठता के साथ दायित्वों का निर्वहन किया है । इसके लिए मैं विधान सभा के सचिव और सभी अधिकारी, कर्मचारियों को धन्यवाद् देता हूं । सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हृदय से धन्यवाद् । मैं इस सत्र के संचालन के लिए प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रायपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं । मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद् कि उन्होंने विधान सभा में उठाए गए विषयों और सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को तत्परतापूर्वक नागरिकों तक पहुंचाया । सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है । सम्मानित सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं । इन सभी सुझावों पर हम पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे । हमारी सरकार ने अपना पहला बजट इस सत्र में प्रस्तुत किया, जिसे सम्माननीय सदन ने पारित किया है मैं इसके लिए पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूं । हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया है । इस दिशा में हमने काम भी शुरू कर दिया है । जल्द ही आप के समक्ष परिणाम भी होगा । इस सत्र की एक

विशेष बात यह रही कि ऐसा लगा जैसे सत्ता पक्ष पर ही विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व आ पड़ा था (हंसी) । यहां भी ऐसा ही लगा, मानो हमारे नारे के अनुरूप "हमने बनाया, हम ही संवारेंगे" हो गया। आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया है। उसे भी संवारने का दायित्व इस बार हमने अपने कंधे पर ही ले लिया था। हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों के राज्यहित और जनकल्याण से जुड़े सवालों के एक से एक तीर भी आए। इस सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) लोकतंत्र में विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे इस सदन में पहली बार आने का अवसर मिला है। लेकिन यहां की गतिविधियों से हम परिचित रहते थे। पिछली बार काफी कम संख्या में होने के बावजूद भा.ज.पा. के विधायकगण लगातार जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दे उठाते रहे, यही इस सदन का उद्देश्य है। किन्तु इस महत्वपूर्ण बजट सत्र में विपक्ष का प्रदर्शन जनअपेक्षा के अनुरूप नहीं लगा। जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चल रही है तो हम चाहेंगे कि विपक्ष अधिक रचनात्मक और जनहित से जुड़े मद्दों को लेकर मुखर हो। लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए राज्य के प्रत्येक वर्ग का विकास करेगी। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे और हम अंत्योद्य के लक्ष्य को हासिल करें। आदिवासियों, वनवासियों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं तक उनके अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। बीते पांच साल के दौरान प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का राज था। पिछले दो माह की अल्प अवधि में ही हमने कानून व्यवस्था में कसावट लाते हुए भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया है। उद्योगपति और व्यवसायी बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के कार्य कर रहे हैं। महिला और बच्चों के लिए सुरक्षा का बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है। यह अमृतकाल है, इस अमृतकाल में हमारा यह प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा। हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह छत्तीसगढ़ के विकास का रोडमैप है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 की आधारशिला है। हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को दी गयी गारंटियों को तत्परता के साथ पूरा कर रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में उनकी हर गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार बचनबद्ध है। मैं पुन: सभी सदस्यों को इस सत्र के संचालन में सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज षष्ठम विधान सभा सत्र का समापन हो रहा है। हम लोग जब भी मिलते हैं और बिछड़ते हैं तो मन में थोड़ी सी पीड़ा होती है। 5 फरवरी से हम एक साथ हैं। विपक्ष और पक्ष के होने के बावजूद भी एक साथ खा रहे हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे हैं, गले से गले लग रहे हैं। महराज, यहां कोई पक्ष विपक्ष का

अंतर नहीं आ रहा है। आपने यहां अपनेपन का जो वातावरण निर्मित किया है, यह उसका कमाल है। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आपने सदन को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया है, वह तो आपकी एक कला है जिसको हमने देखा। मगर हमारे बीच जो वातावरण बना, वह बहुत सुखद वातावरण रहा। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने सबकी सुनी, सबकी तरफ बड़े प्यार भरी नजरों से देखा और किसी के प्रति कोई रोष व्यक्त करते हुए वह नहीं दिखे।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी तरफ प्यार भरी नजर से देखें तो आपने कैसा महसूस किया? (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- वह अभी तक मेरी तरफ नहीं देख पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको तो वह लगातार देखते रहते हैं। आपको आमने-सामने देखे बिना रास्ता ही नहीं बदलते।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपने, इनने और हमारे साथियों ने मिलकर जो सौहार्द्र की भूमिका निभाई है, हमने इन कुछ दिनों में इसका एक अलग आनंद अनुभव किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले सत्र में हम और बेहतर ढंग से यहां पर प्रस्तुत होंगे। हम अपने घर से अपनी काबिलियत को और मांझकर आएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहां पर पक्ष एवं विपक्ष के हमारे जितने भी साथी व नये साथी आये हैं, उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में वह और भी बेहतर होगा। उनके प्रदर्शन, सदन में उपस्थिति, सदन में प्रश्न और शून्यकाल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह पहली बार आये हैं। एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह उनके सीनियर साथियों के साथ भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हालांकि आज उनका दु:ख का समय है। हम लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से पक्ष-विपक्ष के बीच यहां पर जो सामंजस्य दिखा है तो ऐसा लगता था कि दोनों सदस्य नये-नये आये हैं और मौसम कुछ खराब है। मगर यहां पर किसी ने भी अपनी तरफ से ऐसा वातावरण बनने नहीं दिया कि उसमें कटुता उत्पन्न हो। हमने भी माननीय मंत्रियों से प्रश्न किये। हमारे साथियों ने भी प्रश्न किये, मगर वह कटुतापूर्ण नहीं था। प्रेमपूर्ण संबंध बनाये गये और आप सबने, हमारे साथियों और सभी ने इसमें सहयोग दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन साथियों को सभापति के रूप में चुना है। उन्होंने भी बेहतर ढंग से और आपकी ही तरह बड़े सीधे व्यवहार करते हुए और मुस्कुराते हुए हम सब साथियों को काम करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे नवोदित साथियों को बहुत-

बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में आप और बेहतर काम करें। आपने कुछ नाम लिये हैं। मैं उन सभी नामों के प्रति, जिन साथियों ने हमें सहयोग किया, उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे प्रति जो संरक्षण का भाव दिखाया है। वैसे मैं इस नाम से बदनाम था कि मैं प्रतिपक्ष को ज्यादा समय देता था। लेकिन आपने उससे भी बढ़कर हम लोगों को सुना है, हमारे शून्यकाल के प्रति चिंता व्यक्त की है, हमारे ध्यानाकर्षण के प्रति चिंता व्यक्त की है, हमारे स्थगन के लिए हमें समय दिया है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारे सब साथी आपके आभारी हैं। आपने हमारे साथियों को ज्यादा से ज्यादा समय देकर उनके अंदर की भावना को और मजबूत करने में सहयोग प्रदान किया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत से मंत्री नये-नये हैं। हमको तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा? मगर संपूर्ण मंत्रिगण ने अच्छे उत्तर भी दिये और पढ़-लिख कर भी आये। अब पर्ची आने का सिस्टम है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। मगर आपने कोशिश की कि सभी साथियों ने यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में वह और बेहतर काम करें और हम सबकी सुनें। उनकी भावना छत्तीसगढ़ की उन्नति के प्रति हो, छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति हो, न कि पक्ष और विपक्ष के नाते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे साथियों ने ऊपर से हम लोगों का साथ दिया है। संचार, टी.व्ही. और मीडिया के हमारे जो साथी आये हैं, उन लागों ने हमारे सभी साथियों की बातें भी आम जनता तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस बार बड़े मुश्तैद ढंग से हमारे पुलिस विभाग के सहयोगी साथी यहां पर उपस्थित रहें। उन्होंने किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होने दी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । विशेषकर हमारा सचिवालय दिनेश शर्मा जी के निर्देशन में जो हमारे साथी यहां काम करते रहे, उन्होंने हर व्यक्ति को नये सदस्यों को, पुराने सदस्यों को, सबको सहयोग दिया और बेहतर संचालन में अपना अधिकतम योगदान दिया, इसलिए मैं हमारे विधान सभा के परिवार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । अध्यक्ष महोदय, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे । अभी तो हम नये-नये थे तो कभी-कभी होता है कि आदमी वहां से यहां आकर बोलता है तो कुछ मन में एक विश्वास नहीं जम पाता । ये भी नये आये, उनके मन में भी विश्वास नहीं जम पाया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिक्चर में होता है । अगर कोई शॉट अच्छा नहीं रहता तो उसको री-टेक कर देते हैं । तो वहां से यहां आएंगे तो री-टेक तो होगा ही ।

डॉ. चरण दास महंत :- उधर से इधर आने का री-टेक हो गया, इधर से उधर जाने का री-टेक हो गया । ऊपर से नीचे आने का री-टेक हो गया और नीचे से ऊपर जाने का री-टेक हो गया । हम लोग अपनी भूमिका को समझ ही नहीं पाये, उसके बावजूद भी हम सबने आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन

में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया । आपको देख-देखकर हम और सीखे हैं, इसके लिए हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा रहेगी कि आने वाले दिनों में हम लोगों की बात और बेहतर ढंग से सुनें । आज आप और हम सब यहां से बिदा ले रहे हैं और इस इच्छा के साथ इस विश्वास से कि हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए और बेहतर से बेहतर काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- जिस सदन में दल के नेता विष्णु देव साय जैसे हों, वह सदन हमेशा अच्छा ही चलेगा, यह मैं भावना भी बताता हूं । (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि उनकी एक मात्र अपनी उपस्थिति ही सबको संतुष्ट करने लायक है ।

आज एक विशेष अवसर भी है, जब समापन के अवसर में हम अपनी बात कह रहे हैं तो सुदूर जगरगुण्डा थाना के सुकमा, बस्तर के पूर्ववर्ती गांव टेकलगुड़ा सिलगेर, जहां 40 वर्ष बाद तिरंगा फहराया गया, उस गॉव से 47 युवक और युवती दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं (मेजों की थपथपाहट) यह इस सदन के लिए वह विशिष्ट लोग हैं, हम उनका स्वागत कर सकते हैं, सामान्यत: ऐसी परिपाटी नहीं है, पर मेज थपथपाकर उनका स्वागत कर सकते हैं । (मेजों की थपथपाहट) वे सदन को, अपने विधायकों को देखने के लिए बहुत दूर से चलकर आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा, माननीय सदस्य राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित ।

(अपराहन 2 बजकर 34 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.) **सचिव**

दिनांक : 28 फरवरी, 2024 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं